हरियाणा सरकार

द्वारा

राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों

को

दी जा रही सुविधाएं

सामान्य प्रशासन (प्रोटोकोल) विभाग,
हरियाणा सरकार

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानियों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को प्रकाशित करने के दृष्टिगत एक पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

स्वतन्त्रता सेनानी हमारे प्रेरणा-पुँज हैं तथा इनके संघर्ष एवं बलिदान की बदौलत ही हम गुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ कर आज़ाद भारत के सपने को साकार कर पाए हैं।

देश की आज़ादी के आन्दोलन में हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानियों ने अनूठे तप एवं त्याग का इतिहास रचा है। ऐसे में उनके अहसानों का बदला तो नहीं चुकाया जा सकता लेकिन उनके मान और सम्मान एवं कल्याण के लिए प्रयास करके उनकी भावनाओं के प्रति कृतज्ञता अवश्य प्रकट की जा सकती है।

हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हें ऐसी योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ही यह पुस्तिका प्रकाशित की गई है। इसमें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी पत्रों एवं आदेशों को भी संकलित किया गया है।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तिका स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों के साथ-साथ प्रदेश के आम आदमियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी।

मैं इस पुस्तिका को प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानियों की सेवा में समर्पित करता हूँ और उनके त्याग, तप एवं बलिदान को शत्-शत् नमन करता हूँ।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

संदेश

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानियों को समय-समय पर दी जाने वाली सुविधाओं एवं उनके तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत इस पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है।

हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का एक छोटा लेकिन प्रगतिशील राज्य है और भारत के मानचित्र पर सदैव इस राज्य ने अपनी उपस्थिति का एहसास करवाया है। देश के स्वाधीनता संग्राम में भी यहां के स्वतन्त्रता सेनानियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया और बेमिसाल कुर्बानियां दीं। उनके इस त्याग और बलिदान के लिए पूरा देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा।

देश के प्रति उनके इस त्याग और बलिदान का सम्मान करते हुए, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके आश्रितों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। ऐसी योजनाओं के बारे में उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह पुस्तिका प्रकाशित की गई है।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तिका स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों के साथ-साथ प्रदेश के जन-साधारण के लिए भी लाभकारी एवं उपयोगी सिद्ध होगी।

धर्मवीर
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

विषय सूची

क्रम संख्या		पृष्ठ संख्या
	सामान्य प्रशासन (प्रोटोकोल) विभाग	
1.	स्वतन्त्रता सेनानियों/विधवाओं को दिये जाने वाली पेंशन की योजना	1—12
2.	सम्मान पेंशन	13—16
3.	स्वतन्त्रता सेनानियों की मृत्यु होने पर उनका अन्तिम संस्कार सम्मान के साथ किया जाना तथा 1500/- रुपये का अनुदान दिया जाना	17—19
4.	स्वतन्त्रता सेनानियों की लड़कियों तथा आश्रित बहनों की शादी के लिए अनुदान प्रदान करना	20—23
5.	स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों के लिए विभिन्न कोर्सों में प्रवेश के लिए आरक्षण	24—25
6.	सरकारी सेवा में स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण	26
7.	स्वतन्त्रता सेनानी कर्मचारियों को उनकी अधिवर्षता आयु के उपरान्त सेवा में बनाये रखना	27—28
8.	स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु के पश्चात् सम्मान पेंशन उसकी विधवा के नाम करना	29
9.	स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ शिष्टता का व्यवहार तथा सम्मान प्रदान करने बारे	30—35
10.	स्वतन्त्रता सेनानियों को हरियाणा भवन, नई दिल्ली/एम०एल०ए० होस्टल, चण्डीगढ़ में राज्य के संसद सदस्यों तथा विधायकों की भांति कम से कम रेट पर ठहरने की सुविधा प्रदान करना	36—38
11.	स्वतन्त्रता सेनानियों को पहचान-पत्र तथा प्रमाण-पत्र जारी करना	39—46
	स्वास्थ्य विभाग	
12.	स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना	47—48
13.	स्वतन्त्रता सेनानियों को मासिक नियत चिकित्सा भत्ता प्रदान करना	49—50
14.	स्वतन्त्रता सेनानियों को उन द्वारा दांत/जबड़ा लगवाये जाने के खर्च की प्रतिपूर्ति	51—53
15.	स्वतन्त्रता सेनानियों को उन द्वारा लगवाये गये श्रवण यन्त्र के खर्च की प्रतिपूर्ति	54—56

16.. स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने बारे 57—58

परिवहन विभाग

17. स्वतन्त्रता सेनानियों को नि:शुल्क यात्रा करने की सुविधा 59—63

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

18. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लाटों में स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए आरक्षण 64

खाद्य व आपूर्ति विभाग

19. स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए सस्ते गल्ले की दुकानों का आरक्षण 65

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

20. नगरपालिकाओं/नगर सुधार मण्डलों के प्लाटों में स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए आरक्षण 66

21. स्वतन्त्रता सेनानियों व उनके बच्चों को भूतपूर्व सैनिकों की भांति गृह कर से छूट 67—78

22. स्मारकों, संग्रहालयों तथा बुतों आदि की स्थापना बारे नीति 79—81

विद्युत विभाग

23. राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों को उनके कृषि प्रयोग हेतु ट्यूबवैल कनैक्शन के लिए वरीयता प्रदान करना 82

स्वतन्त्रता सेनानियों/विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन की योजना

यह योजना स्वतन्त्रता सेनानियों, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लेने के फलस्वरूप कारावास का दंड या अन्य यातनायें सही हों, को सम्मानित करने के उद्देश्य से बनाई गई है और इसके अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानियों/विधवाओं को स्वतन्त्रता सम्मान पेंशन तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं।

परिभाषा

स्वतन्त्रता सेनानी का तात्पर्य हरियाणा राज्य के ऐसे अधिवासी व्यक्ति से है जिसने भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया हो तथा जिस के द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम 2 मास की अवधि के लिए कारावास का दंड भोगा गया हो।

हरियाणा सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य के वे स्वतन्त्रता सेनानी, जो केन्द्रीय सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, परन्तु जिन्हें राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, को भी यही सम्मान पेंशन 1-1-1981 से प्रदान कर दी जाये।

2. **सम्मान पेंशन**

हरियाणा सरकार ने राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों/विधवाओं/आई०एन०ए० के सदस्यों को निम्न प्रकार से सम्मान पेंशन प्रदान की हुई है :—

1. 1.1.1981 से 31.3.1983 तक 50/- रुपये प्रति मास की दर से
2. 1.4.1983 से 14.8.1985 तक 100/- रुपये --तदैव--
3. 15.8.1985 से 8.8.1987 तक 200/- रुपये --तदैव--
4. 9.8.1987 से 19.10.1989 तक 250/- रुपये --तदैव--
5. 20.10.1989 से 1.10.1993 तक 300/- रुपये --तदैव--
6. 2.10.1993 से 31.3.1996 तक 500 रुपये/- --तदैव--
7. 1.4.1996 से 31.3.1997 तक 750/- रुपये --तदैव--
8. 1.4.1997 से 30.6.1998 तक 1000/- रुपये --तदैव--
9. 1.7.1998 से 31.3.2005 तक 1400/- रुपये + 125/- रुपये नियत चिकित्सा भत्ता प्रति मास।
10. 1.4.2005 से 14.8.2006 तक 3500/- रुपये + नियत चिकित्सा भत्ता प्रति मास
11. 15.8.2006 से अब तक 5125/- रुपये प्रति मास (जमा 1625/- महंगाई राहत तथा 250/- रुपये नियत चिकित्सा भत्ता।)

3. **स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु होने पर अन्तिम संस्कार बारे**

हरियाणा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में जब भी किसी स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु हो जाती है, तो सम्बन्धित जिले के उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक)/सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा उसके दाह संस्कार के समय राज्य सरकार की ओर से सम्मान के तौर पर "रीथ" अर्पित की जायेगी। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा 1500/- रुपये का अनुदान दाह संस्कार हेतु स्वतन्त्रता सेनानी के निकट सम्बन्धियों को उसी समय प्रदान किया जायेगा।

4. **स्वतन्त्रता सेनानियों की लड़कियों तथा आश्रित बहनों की शादी के लिए अनुदान प्रदान करना**

हरियाणा सरकार ने 1984 में यह निर्णय लिया था कि राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों/आई०एन०ए० के सदस्यों/विधवाओं को उनकी लड़की तथा आश्रित बहन की शादी हेतु 2000/- रुपये की राशि प्रत्येक शादी के लिए अनुदान के रूप में प्रदान की जाये।

हरियाणा सरकार ने यह अनुदान की राशि 1.4.1992 से 2000/- रुपये से बढ़ाकर 5000/- रुपये तथा 1.6.1993 से बढ़ाकर 10000/- रुपये और अब यह अनुदान की राशि 24.2.2006 से 10000/- से बढ़ाकर 21000/- रुपये कर दी गई है।

5. **स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों के लिए विभिन्न कोर्सों में प्रवेश के लिए आरक्षण**

राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों के लिए प्रोफैशनल कोर्सों, मेडिकल (आयुर्वेदिक सहित) इंजीनियरिंग तथा आई०टी०आई० में एक प्रतिशत सीटें प्रवेश के लिए इस शर्त के साथ आरक्षित कर रखी हैं यदि 3 प्रतिशत सीटें जो अपंगों के लिए आरक्षित हैं उसमें योग्य अपंग न मिलने के कारण खाली रह जाती हैं उसमें से एक प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके वार्ड्स और 1 प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों को दी जाती है। अब सरकार ने आगे विचार करके 3 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों/स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों को देने का निर्णय लिया है। यह आरक्षण एक प्रतिशत सामान्य वर्ग, एक प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा एक प्रतिशत पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित सीटों में से ही दिया जायेगा।

6. **सरकारी सेवा में स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण**

हरियाणा सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य की सेवा में सीधी भर्ती (श्रेणी I, II, III व IV) के लिए स्वतन्त्रता सेनानियों के लड़कों, लड़कियों, पोते, पोतियों, दोहते व दोहतियों के लिए 2 प्रतिशत का आरक्षण इस शर्त पर किया गया है कि यदि भूतपूर्व सैनिकों या पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए जो कोटा निर्धारित किया गया है, वह सम्बन्धित पात्र उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह जाये।

7. **स्वतन्त्रता सेनानी कर्मचारियों को उनकी अधिवर्षता आयु के उपरान्त सेवा में बनाये रखना**

हरियाणा सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य के उन कर्मचारियों, जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम आन्दोलन में भाग लिया है और अब राज्य की सेवा में कार्यरत हैं, को उनकी अधिवर्षता की आयु उपरान्त 60 वर्ष की आयु तक लोकहित में सरकारी सेवा में बनाये रखा जाये।

8. **स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु के पश्चात् सम्मान पेंशन उसकी विधवा के नाम स्थानान्तरण करना**

हरियाणा सरकार के निर्णय अनुसार यदि राज्य के किसी स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको दी जा रही सम्मान पेंशन तथा बकाया आदि, यदि कोई हो, तो उसकी विधवा के नाम स्थानान्तरण, सम्बन्धित उपायुक्त की जांच उपरांत, कर दिया जाता है।

9. **स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ शिष्टता का व्यवहार तथा सम्मान प्रदान करने बारे**

हरियाणा सरकार ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को यह हिदायतें जारी की हुई हैं कि जब भी कोई स्वतन्त्रता सेनानी/आई०एन०ए० का सदस्य सरकारी कार्यालय में किसी कार्यवश आता है तो उसे यथा उचित सम्मान दिया जाये और उन्हें राष्ट्रीय पर्वों एवं महत्वपूर्ण समारोहों में आमन्त्रित किया जाये और उनके बैठने की उचित व्यवस्था की जाये। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों में भी स्वतन्त्रता सेनानियों/आई०एन०ए० के सदस्यों को सम्मिलित किया जाये। इन हिदायतों को पुनः भी दोहरा दिया गया है तथा यह भी हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि राष्ट्रीय पर्वों एवं महत्वपूर्ण समारोहों में स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं को भी आमंत्रित किया जाये।

10. **स्वतन्त्रता सेनानियों को हरियाणा भवन नई दिल्ली/एम०एल०ए० होस्टल, चण्डीगढ़ में राज्य के संसद सदस्यों तथा विधायकों की भांति कम से कम रेट पर ठहरने की सुविधा प्रदान करना।**

राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों को एम०पी०/एम०एल०ए० के समान हरियाणा भवन, नई दिल्ली, एम०एल०ए० होस्टल, चण्डीगढ़ तथा राज्य के सर्किट हाउसिस/लोक विश्राम गृहों में सस्ते रेट पर ठहरने की सुविधा प्रदान कर रखी है।

11. **उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधायें राज्य के सभी स्वतन्त्रता सेनानियों को दी हुई हैं :—**

1. संबंधित उपायुक्त अपने-अपने जिले के स्वतन्त्रता सेनानियों/आई०एन०ए० के सदस्यों, विधवाओं/उनकी पत्नियों या पतियों अथवा उनके लड़के-लड़कियों को पहचान-पत्र जारी करेंगे।
2. हरियाणा सिविल सचिवालय में स्वतन्त्रता सेनानियों/आई०एन०ए० के सदस्यों/विधवाओं को पहचान-पत्र दिखाने पर प्रवेश करने दिया जायेगा।
3. राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों को उनके प्रयोग हेतु मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतन्त्रता सेनानी होने का प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

स्वास्थ्य विभाग

1. **स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना**

राज्य के उन स्वतन्त्रता सेनानियों, जो अपना व अपनी पत्नी का इलाज इन्डोर पेशेन्ट के रूप में हरियाणा राज्य के सभी सरकारी हस्पतालों/पी०जी०आई०, चण्डीगढ़ से करवाते हैं, को इनके खर्चे की सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा कर दी जाती है।

2. **स्वतन्त्रता सेनानियों को मासिक नियत चिकित्सा-भत्ता प्रदान करना**

राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा अपने इलाज के लिये खुले बाजार से जो दवाइयां खरीदी जाती हैं, उसकी प्रतिपूर्ति के लिये उन्हें 250/- रुपये नियत चिकित्सा भत्ता प्रति मास की दर से हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है।

3. **स्वतन्त्रता सेनानियों को उन द्वारा दांत/जबड़ा लगवाये जाने के खर्चे की प्रतिपूर्ति**

राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा दांत/जबड़ा लगवाने के संबंध में आये खर्चे की उस नीति के आधार पर प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार राज्य के कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति की जाती है।

4. **स्वतन्त्रता सेनानियों को उन द्वारा लगवाये गए श्रवण यन्त्र के खर्चे की प्रतिपूर्ति**

हरियाणा सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि कोई राज्य का स्वतन्त्रता सेनानी जिसे सुनाई नहीं देता हो और वह श्रवण यन्त्र लगवाता है तो उसे उसके जीवन में एक बार 3000/- रुपये की सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य का कोई भी स्वतन्त्रता सेनानी या उसकी पत्नी देश के किसी भी सरकारी हस्पताल में इन्डोर इलाज करवाता है, तो उस पर आये खर्चे की प्रतिपूर्ति उसके रसीद तथा संबंधित काजगात प्रस्तुत करने पर सरकार द्वारा कर दी जाती है।

5. **स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाने बारे**

ये हिदायतें जारी की गई है कि सभी स्वतन्त्रता सेनानियों का स्वास्थ्य निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर ध्यानपूर्वक व आदर सहित किया जाए। राज्य के सिविल सर्जनों को यह भी हिदायतें जारी की गई हैं कि वे चिकित्सा अधिकारियों को आदेश दें कि वे स्वतन्त्रता सेनानियों के निवास पर जाकर उन्हें अटैंड करें क्योंकि काफी स्वतन्त्रता सेनानी वृद्ध आयु के कारण हस्पतालों में आने में असमर्थ होते हैं।

परिवहन विभाग

स्वतन्त्रता सेनानियों को निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा

हरियाणा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों को हरियाणा परिवहन की बसों में हरियाणा राज्य के अन्दर, दिल्ली तथा चण्डीगढ़ में एक सहायक के साथ आम बसों तथा डीलक्स बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा होगी। परन्तु संबंधित स्वतन्त्रता सेनानी के पास अपना पहचान-पत्र जिसमें उसकी फोटो लगी हो, का होना आवश्यक है। यह सुविधा राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं को भी प्रदान की हुई है। उपरोक्त सुविधा सरकारी परिवहन समितियों की बसों में भी स्वतन्त्रता सेनानियों को एक सहयोगी के साथ प्रदान की हुई है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लाटों में स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए आरक्षण

हरियाणा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जो भी रिहायशी प्लाट निकाले जाते हैं, उनमें से 6 मरला तक के प्लाट स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों और उनके पोते, पोतियों, दोहते, दोहतियों के लिए आरक्षित किये जायें। यह आरक्षण 2 प्रतिशत होगा।

खाद्य व आपूर्ति विभाग

स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए सस्ते गल्ले की दुकानों का आरक्षण

हरियाणा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उचित मूल्यों की दुकानों को अलाटमेंट करने में हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों को वरीयता प्रदान की जाये और उन द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के लिए प्रार्थना-पत्र देने पर पूर्ण सहयोग व सहानुभूति प्रदान की जाये।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

1. नगरपालिकाओं/नगर सुधार मंडलों के प्लाटों में स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए आरक्षण

हरियाणा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नगरपालिकाओं/नगर सुधार मंडलों द्वारा जो भी रिहायशी प्लाट निकाले जाते हैं, उनमें से 6 मरला तक के प्लाट स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों के लिए आरक्षित किये जायें। यह आरक्षण 2 प्रतिशत होगा।

2. स्मारकों/संग्रहालयों और बुतों के बारे में नीति निर्धारित करने बारे

सरकार द्वारा यह निर्णय लिया हुआ है कि नगरपालिका सीमा में चौराहे पर किसी की प्रतिमा लगाने की स्वीकृति न दी जाये। किसी चौक का नाम किसी महानविभूति के नाम पर रखने बारे सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। किसी गली/सड़क/पार्क का नाम सम्बन्धित पालिकाओं द्वारा शहीदों/स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम पर रखने हेतु पालिका द्वारा प्रस्ताव पास करके रख लिया जाता है।

3. स्वतन्त्रता सेनानियों व उनके बच्चों को भूतपूर्व सैनिकों की भांति गृह कर में छूट

हरियाणा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों व उनके बच्चों को भूतपूर्व सैनिकों अथवा मृत सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों की भांति गृह कर से छूट दी जायेगी।

विद्युत विभाग

राज्य बिजली बोर्ड द्वारा यह हिदायतें जारी कर रखी हैं कि स्वतन्त्रता सेनानियों को उनके कृषि प्रयोग हेतु ट्यूबवैल लगाने के लिए कनैक्शन के लिए वरीयता प्रदान की जाए।

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह एवं प्रोटोकोल विभाग।

सेवा में

निदेशक लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा

क्रमांक 49/220/78-7 पी०पी० दिनांक 14 दिसम्बर, 1981

विषय : **हरियाणा सरकार की ओर से स्वतन्त्रता सेनानियों/उनकी विधवाओं तथा भूतपूर्व आई०एन०ए० के सदस्यों को पेंशन प्रदान किया जाना।**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

2. हरियाणा सरकार द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों/उनकी विधवाओं तथा भूतपूर्व आई०एन०ए० के सदस्यों को पेशन दिये जाने हेतु लिए गए निर्णय सम्बन्धी विज्ञप्ति का प्रारूप आपको व्यापक प्रचार हेतु भेजा जाता है। कृपया इस सम्बन्ध में अखबारों में विज्ञापन देने के अतिरिक्त अपने विभागीय प्रचार माध्यम से भी इस विज्ञप्ति का प्रचार करवाया जाए।

हस्ता/-
अवर सचिव, प्रोटोकाल,
कृते : वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह एवं प्रोटोकोल विभाग।

क्रमांक 49/220/78-7 पी०पी० दिनांक 14 दिसम्बर, 1981

एक-एक विज्ञप्ति की प्रति तथा निर्धारित फार्म की 100-100 प्रतियों सहित राज्य के सभी उपायुक्तों को सूचना/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

2. कृपया इस सम्बन्ध में व्यापक प्रसार करवाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि यह फार्म सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा दोहरी प्रति में भरा जाए और जो प्रति उनके कार्यालय को दी जाए इसके बारे में वांछित जांच करने के पश्चात पूर्ण रूप से रिपोर्ट राज्य सरकार को आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जाए, यह भी सुनिश्चित कर लें कि हर फार्म के साथ सम्बन्धित खज़ाना अधिकारी द्वारा की गई केन्द्रीय पेंशन की अंतिम अदायगी का प्रमाण पत्र लगा हो।

हस्ता/-
अवर सचिव, प्रोटोकोल,
कृते : वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह एवं प्रोटोकोल विभाग।

क्रमांक 49/220/78-7 पी०पी० दिनांक 14 दिसम्बर, 1981

एक-एक प्रति राज्य सरकार के सभी उपमंडल अधिकारियों (ना) को विज्ञप्ति की प्रति तथा निर्धारित फार्म की प्रति सहित भेजी जाती है। उनसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया राज्य सरकार की इस योजना को व्यापक प्रसार दिया जाए।

हस्ता/-
अवर सचिव, प्रोटोकोल,
कृते : वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह एवं प्रोटोकोल विभाग।

हरियाणा सरकार

प्रोटोकोल एवं प्रचार विभाग

विज्ञप्ति

हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वतन्त्रता सेनानियों तथा भूतपूर्व आई०एन०ए० के सदस्यों को राज्य सरकार की ओर से स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान हेतु जो पेंशन प्रदान की जाती है, उसकी राशि न्यूनतम 50 रुपये प्रतिमास की दर से की जाए।

2. इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार ने उन स्वतन्त्रता सेनानियों/उनकी विधवाओं तथा भूतपूर्व आई०एन०ए० के सदस्यों को जिन्हें भारत सरकार की ओर से पेंशन रूपी सहायता मिलती है, परन्तु राज्य सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती, को भी 50 रुपये प्रतिमास की न्यूनतम दर से मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में संबन्धित स्वतन्त्रता सेनानियों/उनकी विधवाओं तथा भूतपूर्व आई०एन०ए० के सदस्यों की ओर से आवेदन-पत्र निर्धारित फार्म में आमंत्रित किए जाते हैं। यह फार्म तथा इसके बारे में अन्य सूचना सम्बन्धित जिलाधीश के कार्यालय में उपलब्ध है तथा इसके अतिरिक्त ये फार्म निम्न हस्ताक्षरी के कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। सरकार द्वारा ये फार्म सम्बन्धित जिलाधीश के माध्यम से 31 मार्च, 1982 तक प्राप्त किए जाएंगे। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। अपने फार्म के साथ प्रत्येक स्वतन्त्रता सेनानी ने सम्बन्धित खजाना अधिकारी से अपनी केन्द्रीय सरकार की पेंशन की अंतिम अदायगी का प्रमाण-पत्र भी लगाना है।

स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना

आवेदन फार्म

(रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा दो प्रतियों में भेजे जायेंगे—एक प्रतिलिपि संबन्धित राज्य सरकार को तथा एक प्रतिलिपि उप सचिव, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, स्वतन्त्रता सेनानी प्रभाग प्रथम तल, लोक नायक भवन, नई दिल्ली को भेजी जायेगी)

अगर आपने पहले भी केन्द्रीय सरकार को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन हेतु आवेदन किया है तो गृह मंत्रालय के पत्र की संख्या व दिनांक का हवाला दें।	स्वतन्त्रता सेनानी/विधवा के पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ के लिए स्थान

भाग--1

वैयक्तिक विवरण

1. आवेदक का नाम ----------

2. पता ----------

3. आवेदक की आयु ----------

4. स्वतन्त्रता सेनानी का नाम
(यदि आवेदक आश्रित है) ----------

5. स्वतन्त्रता सेनानी का पता ----------

6. आवेदक का स्वतन्त्रता सेनानी के साथ सम्बन्ध ----------

7. राष्ट्रीयता ----------

8. व्यवसाय ----------

9. आश्रित परिवार के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा आवेदक के साथ उनके संबंध- परिवार में माता-पिता, विधुर, विधवा (यदि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है) तथा अविवाहित लडकियां शामिल हैं --

	नाम	आयु	संबंध
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			

10. क्या वह राज्य योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त कर रही /रहा है, यदि हां, तो राशि —

***भाग-2**

स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान भोगी गई यातनाओं के विवरण

11. **(i) सजा**

(क) उस मामले के विवरण जिसमें मुकदमा चलाया गया और सजा दी गई ----

(ख) उस न्यायालय का नाम तथा स्थान जिसमें मुकदमा चलाया गया तथा सजा दी गई ----

(ग) दी गई सजा -----

(घ) भोगी गई सजा की वास्तविक

अवधि से तक

(ङ) साक्ष्य (1) न्यायालय का निर्णय

(2) जेल प्रमाण-पत्र

(3) सहबन्दी प्रमाण-पत्र (यह निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए जो अनुलग्नक-1 पर है) :—

(ii) भूमिगत

(iii) देश निकाला

(iv) नजरबन्दी

(क) प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के प्रकार आंशिक अथवा पूर्ण अर्थात् कोर्ट के रिकार्ड गिरफ्तारी के वारन्ट,भगौड़े के रूप में घोषणा इत्यादि —

(ख) नजरबन्दी आदेश, आदेशों की तारीख, समाप्त होने की तारीख —

(ग) देश-निकाले के आदेश, आदेशों की तारीख, समाप्त होने की तारीख —

*(यदि प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रमाण-पत्रों द्वारा समर्पित यातना (ii), (iii) अथवा (iv) के आंशिक अथवा पूर्ण साक्ष्य सरकारी रिकार्डों में उपलब्ध नहीं हैं तो प्रमाण-पत्र देने वाले का नाम, वह राज्य जिससे वह सम्बन्धित है, उनके द्वारा भोगी गई जेल यातनाओं के विवरण दें।

(v) नौकरी/आजीविका के साधनों की हानि

प्रस्तुत किए गये साक्ष्य के प्रकार :—

(i) बरखास्त करने के पक्ष में सरकारी रिकार्ड।

(ii) क्या स्वतन्त्रता के पश्चात् पुनः नौकरी दी गई, स्वतन्त्रता पश्चात् सेवा के विवरण

टिप्पणी :— नौकरी का तात्पर्य सरकारी अथवा स्थानीय निकायों की नौकरी से है जैसा कि जिला बोर्ड और नगरपालिका।

(vi) सम्पत्ति जब्ती की हानि

(i) सरकारी रिकार्डो के साक्ष्य द्वारा समर्पित विवरण

(ii) क्या स्वतन्त्रता के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा कोई प्रतिपूर्ति दी गई थी।

(vii) स्थाई रूप से विकलांग

प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य के प्रकार : —

(क) जिला मजिस्ट्रेट से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के दौरान लगी गोली की मार/लाठी चार्ज से स्थायी रूप से विकलांग किया गया।

(ख) विकलांगता के पक्ष में सिविल सर्जन से चिकित्सा प्रमाण-पत्र।

(viii) शहादत

(i) रिकार्डो से पुलिस द्वारा गोलीबारी में मारे जाने के समर्थन या आई०एन०ए० बारे में लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए मारे जाने के समर्थन में साक्ष्य।

(12) केवल भूतपूर्व आई०एन०ए० कार्मिकों के मामले में : —

(i) क्या मिलिटरी वर्ग का है अथवा सिविलियन वर्ग का, यदि मिलिटरी वर्ग का है तो अपेक्षित साक्ष्य के प्रकार : —

(क) सेवामुक्ति प्रमाण-पत्र।

(ख) ब्लैक या ग्रे कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया।

(ग) जब्त किए गए वेतन और भत्तों को बताने वाला रिकार्ड आफिस का पत्र।

(ii) यदि असैनिक है —

(क) किसी स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करने वाले से शपथ-पत्र के रूप में सहबन्दी प्रमाण-पत्र

(ख) मूवमेंट आर्डर

(13) और कोई संबन्धित सूचना जिसे आवेदक देना चाहे।

(14) क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति का सदस्य है (जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए)

स्थान -----------------------

तिथि -----------------------

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ-पत्र

मैं, -- पुत्र श्री --

- आयु ------------------ व्यवसाय --

--निवासी --

---- एतद्द्वारा शपथपूर्वक बयान करता हूं कि जो कुछ आवेदन-पत्र के कालम 1 से 14 तक दिया गया है वह मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के आधार पर सत्य है और मेरे द्वारा सरकार से पेंशन या लाभ प्राप्त करने के लिये कोई झूठी सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

शपथकर्त्ता

शपथपूर्वक घोषित ----------------------------

आज दिनांक ----------------------------

और मेरी उपस्थिति में उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

मेरे समक्ष

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी

विशेष सूचना :: —

(1) आवेदन-पत्र में दिए गए ब्यौरे शपथ-पत्र से समर्पित होने चाहिएं।

(2) प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्रों की प्रतियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित होनी चाहिएं। जब कभी मांगी जाएं तब इन दस्तावेजों की मूल प्रतियां प्रस्तुत की जाएं।

(3) केवल उन्हीं आवेदन-पत्रों को स्वीकार किया जाएगा जो सभी दृष्टि से पूरे होंगे और जिनके साथ शपथ-पत्र तथा जेल के और अन्य निर्धारित प्रमाण-पत्र लगे होंगे।

(4) आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि -- होगी।

(5) दिए गए स्थान पर आवेदक के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की एक अधिप्रमाणित प्रति चिपकाई जानी चाहिए।

अनुलग्न-1

सहबन्दी प्रमाण-पत्र

(वर्तमान संसद सदस्य/विधायक या भूतपूर्व संसद सदस्य/विधायक द्वारा हस्ताक्षरित)

मैं -- * पुत्र/* पुत्री/* पत्नी श्री --

* राज्य/* केन्द्र शासित प्रदेश -- के ---

क्षेत्र से --

लोकसभा/राज्य सभा वर्तमान सदस्य

----------------------- का ----------------------- हूं

विधान सभा/परिषद् भूतपूर्व सदस्य

मैं स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान --- जेल,

जिला ----------------------------------- में दिनांक -- से

--- तक बंदी था/थी।

मैं यह प्रमाणित * करता/* करती हूं कि * श्री/* श्रीमती/* कुमारी -- ,

-----------------------------------* पुत्र/* पुत्री/* पत्नी श्री --

जो कि जिला -- के निवासी हैं, वास्तविक स्वतन्त्रता सेनानी हैं, और इनको

--- आन्दोलन में भाग लेने के कारण उसी जेल में मेरे

साथ दिनांक --- से -------------------------------------- तक रखा

गया था।

जहां तक मुझे विश्वास है कि * श्री/* श्रीमती/* कुमारी --

---------------------------- को सजा भुगतने के पूर्व इनके द्वारा लिखित या मौखिक रूप से माफी मांगने पर जेल से

नहीं छोड़ा गया था।

दिनांक (स्थान)

दिन

हस्ताक्षर ------------------------

नाम (बड़े शब्दों में)

प्रमाणितकर्त्ता के

----

* कृपया जो लागू न हों, उन्हें काट दें।

From

The Chief Secretary to Govt., Haryana

To

The Treasurer,

Charitable Endowments, Haryana,

SCO No. 909, 2nd Floor, Manimajra,

Chandigarh.

No. 15/142/89-4PP

Dated Chandigarh, the : 25.4.2005.

Subject :- Increase in the Samman Pension of Freedom Fighters/their widows belonging to Haryana State from Rs. 1400/- to Rs. 3500/- P.M.

Reference subject noted above.

2. Sanction of Governor of Haryana is hereby accorded to the increasing of the Samman Pension of freedom fighters/their widows belonging to Haryana State from Rs. 1400/- to Rs. 3500/- p.m. including fixed medical allowance with effect from 01.4.2005.

3. Accordingly, the onward payment of Samman Pension to freedom fighters/their widows belonging to Haryana State be made at the rate of Rs. 3500/- per month including fixed medical allowance with effect from 01.4.2005.

4. Provisions for the amount involved on account of the increase in Samman Pension may please be asked for in the revised estimates for 2005-2006.

5. This sanction issues with the concurrence of the Finance Department conveyed vide their U.O. NO. 1 (1100)-5FGII/11 (708), dated 15.4.2005.

Sd/-
Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

No. 15/142/89-4PP Dated Chandigarh, the 25th April, 2005.

A copy is forwarded to the Accountant General, Haryana, Chandigarh for information.

Sd/-
Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

A copy is forwarded to the Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Finance Department with ref. to his U.O. NO. 1(1100)-5FGII/11(708), dated 15.4.2005.

Sd/-
Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

To

The Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Finance Department (In FG-II Branch).

U.O.No. 15/142/89-4PP Dated Chandigarh, the 25th April, 2005.

No. 15/142/89-4PP Dated Chandigarh, the 25th April, 2005.

A copy is forwarded to the Director, Public Relations Department, Haryana for information and necessary action. It is requested that wide publicity may be given to this decision of the Haryana Government.

Sd/-
Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

No. 15/142/89-4PP Dated Chandigarh, the 25th April, 2005.

A copy is forwarded to the Chairman, Haryana Swatantarta Sainik Samman Samiti, Chandigarh for information.

Sd/-
Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

A copy is forwarded to the Principal Secretary/Addl. Principal Secy.-I & II/OSD-I & II to the Chief Minister, Haryana for the kind information of the Chief Minister, Haryana.

Sd/-
Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

To

The Principal Secretary/Addl. Principal Secy.-I & II/OSD-I & II to the Chief Minister, Haryana.

U.O. No. 15/142/89-4PP Dated Chandigarh, the: 25th April, 2005.

From

The Chief Secretary to Government, Haryana

To

The Treasurer,
Charitable Endowments, Haryana
SCO No. 909, 2nd Floor, Mani Majra,
Chandigarh

Memo No. 16/63/2006-4PP
Dated Chandigarh the 17th October, 2006.

Subject :- Regarding Merger of Dearness Relief in the Basic Samman Pension of Freedom Fighters/ their Widows belonging to Haryana State

In continuation of the Haryana Government Memo No. 15/142/89-4PP dated 25-4-2005 on the subject cited above.

2. Sanction of Governor of Haryana is hereby accorded to the merger of Dearness Relief at the rate of 50% with the Basic Samman Pension i.e. Rs. 3250/- of the Freedom Fighters/their Widows belonging to Haryana State at the pattern of Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme. 1980.

3. Accordingly, the onward payment of Samman Pension to the Freedom Fighters/their Widows belonging to Haryana State may be made at the rate of Rs. 4875/- per month (including Dearness Relief @ 50% i.e., Rs. 1625/-) with effect from 15-8-2006. The fixed medical allowance @ Rs. 250/- per month may also be paid along with the Samman Pension.

4. It is also advised that for the time being this additional amount may be met out of the over all Grant No. 13 and provisions for the amount involved on account of the merger of the Dearness Relief in the Basic Samman Pension may please be asked for in the revised estimates for the year 2006-07.

5. This sanction issues with the concurrence of the Finance Department conveyed *vide* their U.O. No. 1/38/2006-5FG-11(1842) dated 6-10-06.

Sd/-
Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

No. 16/63/2006-4PP Dated Chandigarh the 17th October, 2006.

A copy is forwarded to the Accountant General, (A&E) Haryana, Chandigarh for information.

Sd/-
Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

A copy is forwarded to the Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Finance Department with ref. to his U.O. NO. 1/38/2006-5 FG-11(1842) Dated 6-10-2006.

Sd/-
Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

To

The Finance Commissioner and Principal Secretary to Government,
Haryana, Finance Department

U.O. NO 16/63/2006-4PP Dated Chandigarh, the 17th October, 2006

No. 16/63/2006-4PP Dated Chandigarh, the 17th October, 2006.

A copy is forwarded to the Director, Public Relations Department, Haryana for information and necessary action. It is requested that wide publicity may be given to this decision of the Haryana Government.

Sd/-
Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

No. 16/63/2006-4PP Dated Chandigarh, the 17th October, 2006.

A copy is forwarded to the Chairman, Haryana Swatantrata Sainik Samman Samiti, Chandigarh for information.

Sd/-
Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

A copy is forwarded to the Principal Secretary/Addl. Principal Secy.-I & II/OSD-I & II to the Chief Minister, Haryana for the kind information of the Chief Minister, Haryana.

Sd/-
Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

To

The Principal Secretary/Addl. Principal Secy.-I & II/OSD-I & II to the
Chief Minister, Haryana

U.O. No. 16/63/2006-4PP Dated Chandigarh, the 17th October, 2006.

No. 49/16/4PP-88

From

The Chief Secretary to Government, Haryana.

To

1. The Commissioners,
   Ambala & Hisar Divisions.
2. All the Deputy Commissioners in the State.
3. All the Sub-Divisional Officers (C) in Haryana State.

Dated Chandigarh the 24th Aug., 1988.

Subject : Placing of Wreath at the time of cremation of Freedom Fighters on behalf of the State Govt.

I am directed to refer to the instructions issued by the Haryana Govt. *vide* letter No. 49/16/4PP-83, dated 15.3.1984, wherein it was intimated that a sum of Rs. 500/- will be given to meet the funeral expenditure on the death of a freedom fighter. Now, it has also been decided by the Government that at the time of cremation of the freedom fighter, the concerned S.D.M./City Magistrate should place a "Wreath" on behalf of the State Government in their respective jurisdiction of Sub-Division/District.

2. I am, therefore, to request that these instruction may kindly be complied with meticulously.

3. Kindly acknowledge its receipt.

Yours faithfully,

Sd/-

Deputy Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Govt., Haryana.

No. 49/16/4PP/88 Dated, Chandigarh, the 24th August, 1988.

A copy is forwarded to the Director, Public Relations, Haryana, Chandigarh, for information and necessary action.

2. It is requested that wide publicity may kindly be given to the above decision of the Government under intimation to this Department.

Sd/-

Deputy Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Govt., Haryana.

No. 49/16/88-4PP

From

The Chief Secretary to Govt., Haryana.

To

1. The Commissioner, Ambala, Hisar, Rohtak. and Gurgaon Divisions.
2. All the Deputy Commissioners in the State.
3. All the Sub-Divisional Officers (Civil) in the State.

Dated Chandigarh, the 7.6.2001.

Subject : Grant of financial assistance for meeting the funeral expenses on the death of a Freedom Fighter in the State.

Sir,

I am directed to invite you kind attention to the instructions issued by the Haryana Government contained in letter No. 49/16/88-4PP, dated 31.08.89 on the above subject and to say that Government has decided now to enhance the financial assistance for meeting the funeral expenses on the death of a Freedom Fighter of the State from Rs. 500/- (Rs. Five hundered only) to Rs. 1500/- (Rs. One thousand five hundred only) with immediate effect. The payment of funeral charges of Rs. 1500/- may immediately be paid to the nearest relative of the Freedom Fighter at the time of cremation. The expenditure on this account should be met out by the Deputy Commissioner concerned from the contingency fund, which will be remitted by the Treasurer, Charitable Endowments, Haryana, SCO No. 909, 2nd Floor, Manimajra (UT) Chandigarh, on a six monthly basis.

2. I am, therefore, to request that these instructions may kindly be complied with meticulously.

3. Kindly acknowledge the receipt of this letter.

Yours faithfully,

Sd/-
Deputy Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Govt., Haryana.

No. 49/16/88-4PP Dated Chandigarh, the 7.6.2001

A copy each is forwarded to the following for information and necessary action :-

1. The Chairman, Haryana Swatantrata Sainik Samman Samiti, Chandigarh.
2. The Treasurer, Charitable Endowments Haryana, SCO No. 909, 2nd Floor, Manimajra (UT) Chandigarh.

Sd/-
Deputy Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Govt., Haryana.

A copy is forwarded to the Financial Commissioner and Secy. to Govt., Haryana, Finance Department for information with reference to his U.O. No. 12(6) 5 FG-II-2001/1443, dated 29.5.2001.

Sd/-
Deputy Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Govt., Haryana.

To

The Financial Commissioner & Secy. to Govt., Haryana, Finance Department.

U.O. No. 49/16/88-4PP Dated : 7.6.2001

No. 16/2/92-4 PP

From

The Chief Secretary to Govt., Haryana.

To

1. The Commissioner of Ambala, Hisar, Gurgaon and Rohtak Divisions.
2. All the Deputy Commissioners in the State.

Dated Chandigarh the 24-2-2006.

Subject:- Grant of Financial Assistance to the Haryana State Freedom Fighters /INA personnel and their widows for the marriages of their daughters and dependent sisters.

Sir,

I am directed to refer to Haryana Government letter No. 49/16/4 PP-83, dated 3-6-1993 on the subject noted above and to say that on consideration of the matter, it has been decided that the grant of financial assistance to Haryana State Freedom Fighters /INA personnel and their widows for the marriages of their daughters and dependent sisters may be given at the rate of Rs. 21,0001/-(Rs. Twenty one thousand only) with immediate effect in each case even though more than one marriage is solemnized in a year.

2. The other terms and conditions will be the same as contained in para 2 of Haryana Government letter No. 49/16/4 PP-83, dated 26-6-84. Accordingly you are requested that all freedom fighters of your respective districts may kindly be informed accordingly by giving this matter a wide publicity.

3. Kindly acknowledge the receipt of this letter.

Yours faithfully,

Sd/-
Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Govt. Haryana.

No. 16/2/92-4 PP Dated Chandigarh the 24-2-2006

A copy is forwarded the Director, Public Relations, Haryana, for information and necessary action., in continuation of Haryana Govt .. Endst No. 49/16/4 PP-83, dated 3-6-93.

2. It is requested that wide publicity may kindly be given to the above decision of the Government.

Sd/-
Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Govt. Haryana.

No. 16/2/92-4 PP Dated Chandigarh the 24-2-2006

A copy is forwarded to the Treasurer, Charitable Endowments, Haryana, S.C.O. No, 909, 2nd Floor Manimajra (U.T.) Chandigarh, for information and necessary action, in continuation of Endst. No. 49/16/4 PP- 83 dated 3-6-93.

Sd/-

Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Govt. Haryana.

No. 16/2/92-4 PP Dated Chandigarh the 24-2-2006

A copy is forwarded to the Chairman / HSSSS for information and necessary action, in continuation of Haryana Government Endst No.49/16/4 PP- 83, dated 3-6-93.

Sd/-

Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Govt. Haryana.

A copy is forwarded to the Financial commissioner and Principal Secretary to Govt. Haryana, Finance Department for information with reference to his U.O. No. 1/14/06-5 FG—11/342 dated 22-2-06.

Sd/-

Under Secretary Protocol.
for Chief Secretary to Govt. Haryana.

To

The Financial Commissioner and Principal Secretary to

Govt., Haryana, Finance Department.

U.O. No. 16/2/92-4 PP Dated Chandigarh, the 24-2-06

No. 49/16/4PP-83

From

Chief Secretary to Govt., Haryana.

To

1. The Commissioners,
   Ambala & Hisar Divisions in the State.
2. All the Deputy Commissioners in the State.
3. All the Sub-Divisional Officers (Civil) in the State.

Dated Chandigarh, the 26-6-1984

Subject : Grant of Financial Assistance to the Freedom Fighters/INA personnel and their widows of Haryana State

Sir,

I am directed to refer to Haryana Government letter No. 49/6/4PP-83, dated 15th March, 1984 on the subject noted above and to say that it has been further decided that the grant of financial assistance to Haryana State Freedom Fighters/INA personnel and their widows for the marriages of their daughters and dependent sisters may be given to the tune of Rs. 2000/-only (Rs. two thousand only) in each case even though more than one marriage to be solemnised in a year.

2. It is also clarified that the SDM/G.A. to D.C. after their verification and satisfaction will forward the case to the Chairman, H.S.S.S.S. He after due check of the particulars of Freedom Fighters will forward to the Member-Secretary of the Committee. On the recommendations of the Chairman, H.S.S.S.S. and with the approval of Chief Secretary, the sanction will be issued to the A.G.O.T. for making necessary arrangements for payment.

3. It is also clarified for the payment of Rs. 500/- as funeral charges to the dependents of Freedom Fighter, the S. D. M. concerned after his satisfaction about the death of the Freedom Fighter, will recommend the case to the Chairman H.S.S.S.S. for release of funeral charge within four days of the receipt of information of the death of the Freedom Fighter. The requisite sanction will be issued by the Government to A.G.O.T who will disburse the amount within 10 days.

4. I am, therefore, to request you that all freedom fighters of your respective districts may kindly be informed, accordingly by giving it wide publicity by you so that they can avail of these concessions.

Kindly acknowledge the receipt.

Your faithfully,

Sd/-

Deputy Secretary (Protocol),
for Chief Secretary to Govt ., Haryana.

No 49/16-4PP-83 Dated: 26-6-1984

A copy is forwarded to the Director, Public Relations Haryana, for information and necessary action in continuation of Haryana Govt. Endst. No 49/16/4PP-83. dated 15th March, 1984.

2. It is requested that wide publicity may kindly be given to the above decision of the Government under intimation to them

Sd/-

Deputy Secretary (Protocol),
for Chief Secretary to Govt., Haryana.

No. 49/16/4PP-83 Dated 26-6-1984

A copy if forwarded to the A.G .O.T. for information and necessary action in continuation of Endst. No. 49/16-4PP-83, dated 15.3.84.

Sd/-

Deputy Secretary (Protocol),
for Chief Secretary to Govt., Haryana.

No. 22/27/2004-2GSIII

From

The Chief Secretary to Government Haryana.

To

1. All Heads of Departments in the Haryana State
2. The Registrar, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.,
3. All Deputy Commissioners and Sub Divisional Officers (Civil) in Haryana State.

Dated Chandigarh, the October 20, 2005

Subject:- Reservation for admission in educational/professional Colleges/Institutions.

Sir/Madam,

I am directed to invite your attention to Haryana Government instructions issued *vide* letter No. 22/34/98-3GSIII, dated 19.03.99, followed by letters of even number dated 05.05.99 and letter No. 22/89/97-3 GSIII dated 07.08.2000 on the subject, noted above, wherein provision for reservation of seats in the educational, technical and professional institutes for the candidates of various categories was made as under:-

1.	Scheduled Castes	20%	(50% each 'A', and 'B' Block)
2.	Backward Classes	16%	A Block
		11%	B Block
3.	Physically handicapped	3%	In the event of quota reserved for physically handicapped remain unutilized due to non availability for suitable category of handicapped candidates it may be offered to the Ex-servicemen and their wards (1%) and the dependents of Freedom Fighters (1%).

On further consideration of the matter, it has been decided to allow by 3% Horizontal reservation to Ex-servicemen / Freedom fighters and their dependents providing reservation within reservation of 1 % ,of general category, 1 % out of scheduled castes and 1% from backward classes category for admission to the various educational institutions of the Government and Government aided / itself financing colleges/institutes located in Haryana. As far as block allocation in Block A and Block B of Scheduled Castes and Backward Classes categories is concerned, yearwise rotational system will be adopted. For example, if blocks A of scheduled castes and backward classes are given seats in the academic year 2006, the next block i.e. B Block of categories of scheduled castes and backward classes will be given seats in the next academic year i.e. 2007 and so on.

These instructions should be brought to the notice of all concerned working under your control for strict compliance.

Yours faithfully,

Sd/-

Deputy Secretary General Administration,

for Chief Secretary to Government Haryana.

A copy is forwarded to all the Financial Commissioners and Principal Secretaries/ Commissioners and Secretaries to Government Haryana for information and necessary action.

Sd/-

Deputy Secretary General Administration,

for Chief Secretary to Government Haryana.

To

All the Financial Commissioners and Principal Secretaries/

Commissioners and Secretaries to Government Haryana.

U.O.No.22/27/2004-2GSIII Dated Chandigarh, the October 20, 2005

Copy of letter No. 22/20/83/3GSIII dated 26/7/84 from Chief Secretary, General Administration to Govt., Haryana to the All Heads of Departments in Haryana, Commissioners, Ambala and Hisar Divisions, All Deputy Commissioners and S.D.Os. (Civil) in Haryana and The Registrar, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.

Sub :- Reservation of posts for the children of freedom fighters in Haryana State.

Sir,

In continuation of Haryana Govt. letter No. 24/17/80-3GSIII, dated 15-12-80 regarding reservation of posting for the physically handicapped persons in Haryana. I am directed to say that the State Government has further decided to reserve 2 % posts in class I, II, III and IV posts in direct recruitment for the children and grand children of Freedom Fighters subject to the condition that these 2% posts will be available for freedom fighters and their children and grand children, only if the quota reserved for Ex-servicemen, remains unfulfilled due to non-reserved for Ex-servicemen, remains unfulfilled due to non-availability of suitable Ex-servicemen or their dependents. This benefit will be available to all grand children i.e. sons and daughters of sons and daughters (paternal as well as maternal) of the freedom fighters.

2. These instructions may be brought to the notice of all concerned for compliance,

Copy of letter No 22/20/83-3GSIII dated 26/11/1985 from the Chief Secretary to Govt. Haryana, to the All Heads Departments in Haryana, Commissioners Ambala and Hisar Divisions, All Deputy Commissioners and S.D.Os (Civil) in Haryana, and The Registrar, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.

Sub:- Extension of concession of reservation in direct appointments of freedom fighters and their children/grand children

Sir,

I am directed to invite you attention to Haryana Government letter No. 22/20/83-3GSIII, dated the 26th July 1984 on the subject noted above wherein it was decided to reserve 2 % posts in class I, 11, III and IV posts in direct recruitment for the children and grand children of freedom fighters subject to the condition that these 2 % posts will be available for freedom fighters and their children and grand children, only if the quota reserved for ex-servicemen remains unfilled due to non-availability of suitable Ex-servicemen or their dependents and to say that the question of extension of this facility of reservation of posts upto 2 % for children and grand children of the Freedom Fighters provided such posts remain unfilled in direct recruitment reserved for Backward Classes had been engaging attention of the Government from some time past. After careful consideration it has been decided to extend further the reservation in service in direct recruitment in class I, II, III and IV to the extent of 2 % for the freedom fighters and their children/grand children subject to the condition that this 2 % reservation will be available only if quota reserved for Ex-servicemen or Backward Classes remain unfilled to that extent due to non-availability of suitable Ex-servicemen of their dependents or non-availability of suitable candidates from Backward Classes. Over all reservation either from the unfilled vacancies of Ex-servicemen or from the Backward Classes for Freedom Fighters/their children/grand children will remain limited to 2% only. This benefit will be available to all grand children i.e. sons and daughters of sons and daughters (paternal as well as maternal) of the Freedom Fighters

2. These instructions may be brought to the notice of all concerned for compliance.

Copy of letter No. 3538-WGII-57/38228, dated 7th/18th May, 1957 from the Addl. Chief Secretary to Government, Punjab to all Heads of Deptts. and others.

Subject : Concession to candidates who took part in National Movement.

Sir,

I am directed to refer to the correspondence resting with Punjab Government letter No. 8791-WG-53/83351, dated the 14th October, 1953, on the subject noted above, wherein the concession regarding relaxation of age limit for entry into Government service upto and including the age of 45 years, was granted, in the case of persons who rendered national or social service before Independence.

2. The question of extending further concessions to political sufferers, who rendered national or social service before Independence has been engaging the attention of Government. It has now been decided that in the individual case of political sufferers in Government service when efficiency continued unimpaired after the normal age of retirement re-employment upto 60 years of age should be sanctioned liberally whenever the exigencies of the public service so required.

Copy of letter No. 8585-WGII/28729, dated the 31st October, 1960, from the Chief Secretary to Government Punjab to all Heads of Departments and the Registrar Punjab High Court, Commissioners in the Punjab.

Subject: Extension of benefits available to the political sufferers to the Ex- I.N.A. personnel, declaration of the I.N.A. Movements as a National Movement.

Sir,

I am directed to say that Government has under consideration the question of declaring the I.N.A. Movement as a full-fledged National Movement and to make available to the Ex-I.N.A. personnel the concession admissible to those who took active part in the liberation of Country from foreign rule and are therefore to be regarded as political sufferers for all intents and purposes so far as the concessions financial assistance is concerned, it has already been made available to the following four categories of this personnel in the year 1956, *vide* press note dated the 15th June, 1956.

(a) The Ex-I.N.A. personnel disabled or incapiciated during the I.N.A. Movement and those who had joined the I.N.A. and now through advanced age, infirmity or other disability are not in a position to earn their livelihood.

(b) To those who suffered dosses on account of their active participation in the I.N.A. Movement and lost their services or occupation are now in straitened circumstances as well as those who contributed all that they possessed to I.N.A. Movement and are now in indigent circumstances.

(c) The Ex-I.N.A. personnel who return to India, joined the country's political activities and have continued to do so ever since and are now in straitened circumstances.

(d) Destitutes, widows, children and members of the Ex-I.N.A. Personnel who were killed abroad while participating in I.N.A. Movement.

2. It has now been decided that the I.N.A. Movement be called as a full-fledged National Movement and the concession admissible to political sufferers as detailed below be extended to all the above four categories of I.N.A. Personnel.

(i) Refund of the fines imposed-by the Punjab Government as a result of conviction for participation in the National Movement.

(ii) Restoration of property, civil pension and Jagir confiscated by Punjab Government.

(iii) Free education to the children of political sufferers in Schools upto the Matriculation standard.

(iv) Grant of land.

(v) Relaxation of age limit for entry into Government service upto and including the age of 45 years.

(vi) Preference for the employment in Government services.

(vii) Re-employment in Government service upto the age of 60 years allowed in the case of Political Sufferers and their wives also.

3. No time limit has been fixed for the entertainment of applications for the grant of concessions, mentioned at Sr. No.2, 4, 6 & 7 above. The concession at Sr. No. 5 available upto 31 st December, 1960 only. The concession at Sr. No. 1 & 2 will be available or reviewed by the 31st March, 1961. All applications should be addressed to the Chief Secretary Government Punjab in the Welfare General/ 2nd Branch. Government servants concerned should send their applications through proper channel. A press note is also being issued.

4. The above instructions may please he brought to the notice of all concerned.

Copy of letter No. 4/FF/87-88/613-16 dated 27.4.87 from the Accountant General Haryana, Chandigarh (A&E) to the Chief Secretary of Haryana, Civil Secretariat, Chandigarh

Subject : Transfer of pension to widows of Freedom Fighters by Respective Accountants General on the basis of verification of genuineness of claim under SSS pension scheme.

I am to invite a reference to the Govt. of India MOHA circular No. 8/15/82FF (P) dated 13.1.87 addressed to all State Accountants General and copies to all Chief Secretaries of the State Governments.

2. In the instruction *ibid* Govt. of India have simplified the procedure for transfer of pension in the name of widows or any other eligible dependents of the deceased freedom fighters under the Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme on the basis of verification of claim of the dependents by the concerned Distt. Magistrate.

3. It has, however, been reported to this office by various Pensioners' Associations and eligible dependents of the deceased freedom fighters that the District Magistrates were not conducting necessary verification on the grounds that they had not received any such instructions from the State Govt.

4. It is, therefore, requested that necessary action as contemplated on the part of Chief Secretaries in Govt. of India's endorsement dt. 13.1.87 may kindly be taken and necessary instructions issued to all the District Magistrates /Deputy Commissioners to verify such claims on priority with a view to avoiding hardships to the families of the deceased freedom fighters.

HARYANA GOVERNMENT
PROTOCOL DEPARTMENT

No.15/19/87-4PP Dated 2.6.87

A copy with its enclosures is forwarded to all the District Magistrates/Deputy Commissioners in the Haryana State for information and necessary action.

It is requested that such claims may please be verified on priority basis with a view to avoiding the hardships to the families of the deceased freedom fighters.

Sd/-
Deputy Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Govt., Haryana.

No. 15/19/87/-4 PP Dated Chandigarh, the 2-6-87

A copy is forwarded to the Accountant General, Haryana for information with reference to his letter No. Pen.4/FF/87-88/613-16 dated 27-4-87.

Sd/-
Deputy Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Govt., Haryana.

क्र० 49/7/81-4 पी०पी०,

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह एवं प्रोटोकोल विभाग।

सेवा में

हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष,

आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल।

दिनांक 16-12-81

विषय :- स्वतन्त्रता सेनानियों/भूतपूर्व आई०एन०ए० के सदस्यों को सरकारी कार्य में उचित सम्मान देना।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि यह सरकार के ध्यान में लाया गया है कि जब कभी भी स्वतन्त्रता सेनानी किसी सरकारी कार्यालय में किसी कार्य हेतु जाते हैं तो उनकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में विचार करने उपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि जब कभी भी कोई स्वतन्त्रता सेनानी/भूतपूर्व आई०एन०ए० का सदस्य सरकारी कार्यालय में किसी कार्यवश आता है तो उसे यथा उचित सम्मान दिया जाए।

2. कृपया इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाए तथा पावती भी भेजी जाए।

भवदीय,

हस्ता/-

अवर सचिव, प्रोटोकोल

कृते : वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह एवं प्रोटोकोल विभाग।

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रोटोकोल विभाग।

सेवा में

1. उपायुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल,
2. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त तथा
सभी उप मण्डल अधिकारी (ना०)

यादी क्रमांक 49/7/80-7 पी०पी०

दिनांक चण्डीगढ़ 15 जुलाई, 1980

विषय :- स्वतन्त्रता सेनानियों तथा भूतपूर्व आई०एन०ए० के सदस्यों को राष्ट्रीय पर्वों पर आमंत्रित करने बारे।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में।

2. सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी स्वतन्त्रता सेनानियों तथा भूतपूर्व आई०एन०ए० के सदस्यों को सभी राष्ट्रीय पर्वों एवं महत्वपूर्ण समारोहों में आमंत्रित किया जाये और उनके बैठने की सुव्यवस्था की जाये। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार विरोधी अभियानां में भी स्वतन्त्रता सेनानियो तथा भूतपूर्व आई०एन०ए० के सदस्यों को शामिल किया जाये।

3. आपसे अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्र के सभी स्वतन्त्रता सेनानियों तथा भूतपूर्व आई०एन०ए० के सदस्यों को सभी राष्ट्रीय पर्वों पर आमंत्रित करें और उनके बैठने की सुव्यवस्था करें।

4. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

हस्ता-/
उप सचिव, प्रोटोकोल
कृते : वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रोटोकोल विभाग।

क्रमांक 16/12/2004-4 पी०पी०

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष।
2. राज्य के सभी मण्डलों के आयुक्त।
3. राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त।

दिनांक चण्डीगढ़, 6 अप्रैल, 2004

विषय : **स्वतन्त्रता सेनानियों/भूतपूर्व आई०एन०ए० के सदस्यों को सरकारी कार्य में उचित सम्मान देना।**

महोदय,

मुझे उक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 49/7/81-4 पी०पी० दिनांक 16.12.81 तथा पत्र क्रमांक 16/34/99-4 पी०पी० दिनांक 3.10.2000 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ जगह जब कभी स्वतन्त्रता सेनानी किसी सरकारी कार्यालय में किसी कार्य हेतु आते हैं तो उनकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ अधिकारी/कर्मचारी स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रति शिष्टाचार एवं सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं तथा उनकी उचित शिकायतों को भी धैर्यपूर्वक नहीं सुनते हैं जिससे इन सेनानियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जब कभी भी कोई स्वतन्त्रता सेनानी/भूतपूर्व आई०एन०ए० का सदस्य किसी कार्यवश सरकारी कार्यालय में आए तो उसके साथ शिष्टतापूर्वक तथा सम्मानजनक व्यवहार किया जाए तथा उसकी शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुना जाए और उनका समाधान करने का प्रयास किया जाए।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु के बाद होने वाले अंतिम संस्कार के समय स्थानीय उप मण्डल अधिकारी (ना०)/सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा माल्यार्पण कराकर उन्हें उचित आदर और सम्मान प्रदान करें।

कृपया इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में ला दी जाएं तथा पावती भी भेजी जाए।

भवदीय

हस्ता/-

अवर सचिव न्याचार

कृते : मुख्य सचिव हरियाणा सरकार।

पृष्ठांकन क्रमांक 16/12/2004/4 पी०पी०

दिनांक चण्डीगढ़, 6 अप्रैल, 2004

एक प्रति संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 2 फरवरी, 2004 के संदर्भ में सूचना हेतु भेजी जाती है।

हस्ता/-

अवर सचिव न्याचार

कृते : मुख्य सचिव हरियाणा सरकार।

क्रमांक 16/54/2004-4 पी०पी०

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी मण्डलों के आयुक्त,
2. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त तथा
सभी उप-मण्डल अधिकारी (ना०)।

दिनांक चण्डीगढ़ 28-9-2004

विषय : **स्वतन्त्रता सेनानियों तथा भूतपूर्व आई०एन०ए० के सदस्यों को राष्ट्रीय पर्व पर आमन्त्रित करने बारे।**

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 49/7/80-7पी०पी० दिनांक 15.7.1980 तथा 49/164/82-4 पी०पी० दिनांक 25.8.1988 की ओर दिलाने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकार के ध्यान में लाया गया है कि जिला प्रशासन द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों को उचित सम्मान प्रदान नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पर्वों जैसा कि स्वतन्त्रता दिवस तथा गणतन्त्र दिवस के समारोहों में जिले के स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सम्मानजनक स्थान प्रदान नहीं किया जाता। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि इस विषय में सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जिले के सम्बन्धित स्वतन्त्रता सेनानियों तथा भूतपूर्व आई०एन०ए० के सदस्यों को सभी राष्ट्रीय पर्वों एवं महत्वपूर्ण समारोहों में आमंत्रित किया जाए और उनके बैठने की सादर सुव्यवस्था की जाए।

भवदीय,

हस्ता/-
अवर सचिव, न्याचार,
कृते : मुख्य सचित, हरियाणा सरकार।

इसकी एक प्रति अध्यक्ष, हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

हस्ता/-
अवर सचिव, न्याचार,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

अध्यक्ष, हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति,
चण्डीगढ़।

अशा० क्र० 16/54/2004-4 पी०पी० दिनांक चण्डीगढ़ : 28-9-2004

क्रमांक : 15/142/89-4 पी०पी०

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी मण्डलों के आयुक्त,

2. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त तथा
सभी उप-मण्डल अधिकारी (ना०)।

दिनांक चण्डीगढ 29-7-2005

विषय : **स्वतन्त्रता सेनानियों तथा भूतपूर्व आई०एन०ए० के सदस्यों को राष्ट्रीय पर्वों पर आमन्त्रित करने बारे।**

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 49/7/80-7 पी०पी० दिनांक 15/7/1980, 49/164/82-4 पी०पी० दिनांक 25/8/1988 तथा 16/54/2004-4 पी०पी० दिनांक 29/9/2004 की ओर दिलाने जिसमें यह हिदायतें जारी की गई थीं कि स्वतन्त्रता सेनानियों तथा भूतपूर्व आई०एन०ए० के सदस्यों को सभी राष्ट्रीय पर्वो एवं महत्वपूर्ण समारोहो पर आमन्त्रित किया जाये और उनके बैठने की सादर सुव्यवस्था की जाये। अब सरकार ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि भविष्य में ऐसे राष्ट्रीय पर्वो एवं महत्वपूर्ण समारोहों में स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं को भी आमंत्रित किया जाये और उनके बैठने की भी सादर सुव्यवस्था की जाए।

भवदीय,

हस्ता/-
अवर सचिव, न्याचार,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

इसकी एक प्रति मुख्य-सचिव, हरियाणा सरकार एवं अध्यक्ष हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति को सूचना हेतु भेजी जाती है।

हस्ता/-
अवर सचिव, न्याचार,
कृते : मुख्य संचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार एवं अध्यक्ष
हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति, चण्डीगढ।

अशा० क्र० 15/142/89-4 पी०पी० दिनांक चण्डीगढ : 29-7-2005

क्रमांक : 15/142/89-4 पी०पी०

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी मण्डलों के आयुक्त,
2. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त तथा
   सभी उप-मण्डल अधिकारी (ना०)।

दिनांक चण्डीगढ़ 29-7-2005

विषय : **स्वतन्त्रता सेनानियों की मृत्यु पर गार्ड ऑफ ऑनर देने बारे।**

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी एसोसियेशन की मांग पर विचार करते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु पर उसे पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाये। आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि जब किसी राज्य के स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना उचित समय पर पुलिस विभाग को दी जाये ताकि उन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिये जाने का प्रबन्ध किया जा सके।

भवदीय,

हस्ता/-
अवर सचिव, न्याचार,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पृष्ठ क्रमांक 15/142/89-4 पी०पी० दिनांक चण्डीगढ़ 29-7-2005

इसकी एक प्रति महानिदेशक, पुलिस विभाग, हरियाणा को उनके पत्र क्रमांक 7224/जी०ए०-1, दिनांक 27/6/05 के सदर्भ में सूचना तथा आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है। कृपया इस बारे मे अधीनस्थ अधिकारियों को हिदायतं जारी कर दी जागें।

हस्ता/-
अवर सचिव, न्याचार,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

इसकी एक प्रति मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार एवं अध्यक्ष हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति को सूचना हेतु भेजी जाती है।

हस्ता/-
अवर सचिव, न्याचार,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार एवं अध्यक्ष
हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति, चण्डीगढ़।

अशा: क्रमांक 15/142/89-4 पी०पी० दिनांक चण्डीगढ़ 29-7-2005

No. 11/5/92-RVA

From

The Chief Secretary to Government, Haryana.

To

The Commissioner & Special Representative to Govt. Haryana, Haryana Bhawan, New Delhi

Dated Chandigarh, the 22nd February, 1993.

Subject : Reservation of accommodation in Haryana Bhawan, New Delhi for the Freedom Fighters belonging to Haryana State.

Sir,

I am directed to refer to the subject noted above and to state that the matter regarding providing accommodation to the freedom fighters of Haryana State in the Haryana Bhawan, New Delhi and Circuit Houses/Rest Houses at concessional rates at par with the rates being charged from the sitting MPs/MLAs of Haryana has been engaging the attention of the Govt. After considering this matter in detail, it has been decided that the freedom fighters belonging to the Haryana State may also be provided accommodation in the Haryana Bhawan, New Delhi, during their visit to Delhi and in the Circuit Houses/Rest Houses at the same rates which are at present being charged from the sitting MPs/MLAs. The permits for the reservations in the Haryana Bhawan, New Delhi will be issued by the Chief Secretary to Government, Haryana (In R.V.A. Section) and reservations in respect of Circuit Houses/Rest Houses will be made by the respective Competent authority.

2. These orders will be effective from 22.2.1993.

3. These orders issue with the concurrence of the Finance Department conveyed *vide* their U.O. No. 429-2FICW-92, dated 22.2.1993.

4. Please acknowledge the receipt of this letter.

Yours faithfully,

Sd/-
Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Govt., Haryana

Endst No. 11/5/92-RVA, dated Chandigarh, the 22nd Feb., 1993.

A copy, with one spare copy, is forwarded to Accountant General (A&E) Haryana, for information.

Sd/-
Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Govt., Haryana

Endst No. 11/5/92-RVA, dated Chandigarh, the 22nd Feb., 1993.

A copy, each is forwarded to the following, for information and necessary action :—

i) The Chairman, Haryana Sawtantrata Sainik Samman Samiti, Chandigarh.

ii) Engineer-in-Chief, PWD(B&R) Department, Haryana.

iii) Engineer-in-Chief, Irrigation Deptt., Haryana, Chandigarh

2. For Engineer-in-Chief PWD(B&R) Deptt. and Engineer-in-Chief, Irrigation Deptt. only. They are requested to issue self-contained instructions in this behalf, on the above lines, to their respective field officers today and send a copy thereof to the Govt. through special messenger for record.

Sd/-
Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Govt., Haryana

****

A copy is forwarded for information to the Financial Commissioner & Secretary to Govt., Haryana, Finance Department, with reference to his U.O. advice No. 429–2FICW, dated 22.2.92.

Sd/-
Under Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Govt., Haryana

To

The Financial Commissioner & Secretary to Government,
Haryana, Finance Department.

U.O. No. 11/5/92–RVA, Dated Chandigarh, the 22nd Feb., 1993.

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

No. Hostel/HC/1/2005-06/11095-96

From

Shri Sumit Kumar,
Secretary.

To

1. All the Ministers
2. All the Members of Haryana Vidhan Sabha.

Dated Chandigarh, the 29th July, 2005.

Subject : Regarding revising the room rent of the Haryana MLAs Hostel.

****

Sir/Madam,

I am directed to inform you that the House Committee in its meeting held on 25th July, 2005, has revised the room rent of the MLAs Hostel as under :—

Sr. No.	Persons to whom	For One Room	For another room
1.	MLAs	Rs. 30/-	Rs. 100/-
2.	MPs/ MLAs of other States & Freedom Fighters	Rs. 30/-	Rs. 200/-
3.	Ex-MLAs and Ex-MPs	Rs. 100/-	Rs. 200/-
4.	Ministers, MLAs having Kothies & Flats	Rs. 100/-	Rs. 200/-
5.	Gazetted Officers on duty from outside Chandigarh.	Rs. 100/-	Rs. 200/-
6.	Others	Rs. 250/-	Rs. 250/-

The above decision of the Committee is forwarded to you for your information. The revised room rend will be applicable **w.e.f. 1st August, 2005.**

Yours faithfully,

Sd/-
Superintendent,
for Secretary.

No. 15/35/84—4PP

From

Chief Secretary to Government,
Haryana.

To

All the Deputy Commissioners,
in the State.

Dated : Chandigarh, the 20th/26th July, 1984.

Subject: **Issue of identity cards to Freedom Fighters.**

Sir,

I am directed to address you on the subject noted above and to say that Government have decided that Freedom Fighters/their widows who are in receipt of State Pension may be issued Identity Cards (in case they have not been issued earlier or already issued have been lost or mutilated) so that at the time of availing facilities provided to them may not face any inconvenience.

2. I am, therefore, to request you to kindly take immediate necessary steps to issue Identity Cards to the Freedom Fighters residing in your Districts. The requirement of your district for the printed Identity Cards if any, may please be intimated to the Government, immediately.

Yours faithfully,

Sd/-

Deputy Secretary (Protocol),
for Chief Secretary to Govt. of Haryana.

A copy is forwarded to the Chairman, H.S.S.S.S. for information.

Sd/-

Deputy Secretary (Protocol),
for Chief Secretary to Govt. of Haryana.

To

The Chairman, H.S.S.S.S.
Chandigarh.

U.O. No. 15/35/4PP–84 Dated Chandigarh, the 26-7-84

विषय : **हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों का हरियाणा सचिवालय भवन में प्रवेश।**

क्या मुख्य सचिव (प्रशासकीय अधिकारी शाखा) कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगें ?

2. हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी स्वतन्त्रता सेनानियों को पहचान-पत्र जारी करने के लिए सभी सम्बन्धित उपायुक्तों को हिदायतें जारी की हुई हैं ताकि सभी स्वतन्त्रता सेनानी उनके कार्यालय से अपने पहचान-पत्र बनवा सकें। सरकार द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा राज्य के सभी स्वतन्त्रता सेनानियों को उनके सम्बन्धित उपायुक्तों द्वारा जारी किए गए पहचान-पत्रों के आधार पर हरियाणा सिविल सचिवालय भवन में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाए। उनसे अनुरोध है कि कृपया हरियाणा सरकार के इस निर्णय के अनुसार सभी स्वतन्त्रता सेनानियों को उनके पहचान-पत्रों के आधार पर सचिवालय भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाए।

कृपया इस बारे तुरन्त कार्यवाही की जाए तथा इस विभाग को भी सूचित किया जाए।

हस्ता/-

उप सचिव प्रोटोकोल,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

(प्रशासकीय अधिकारी शाखा)

अशा० : क्रमांक 15/137/88-4 पी०पी० दिनांक 23/8/1988

पृ० क्रमांक 15/137/88-4 पी०पी० दिनांक 23/8/1988

एक प्रति अध्यक्ष, हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति को सूचनार्थ भेजी जाती है।

हस्ता/-

उप सचिव, प्रोटोकोल

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

No. 16/65/91-4PP

From

The Chief Secretary to Govt., Haryana

To

1. All Heads of Departments in Haryana.
2. Registrar, Agricultural/Kurukshetra/M.D. Universities, Hisar, Kurukshetra and Rohtak.

Dated Chandigarh the 12th December, 1991

Subject : Certificates given by the Haryana Government to the Freedom Fighters.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that Haryana Government have provided facility of reservations in some courses and jobs etc. to the children/grand children of freedom fighters of Haryana State. For this purpose a certificate is issued to the concerned freedom fighter by the office of the Chief Secretary to Govt., Haryana. It has been brought to the notice of the Govt. that the attested copies of these certificates are not recognised by some of the departments. I am, therefore, to request that in future the attested copies of these certificates may be recognised and if necessary the original certificate may be seen at the time of interview.

Yours faithfully,

Sd/-

Under Secretary Protocol,

for Chief Secretary to Govt., Haryana.

(TO BE SUBSTITUTED FOR THE LETTER BEARING THE SAME NUMBER AND DATE)

क्रमांक 16/20/93-4 पी०पी०

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त

दिनांक, चण्डीगढ़ 20-4-93

विषय :- **स्वतन्त्रता सेनानियों के लड़कों, लड़कियों, पोतों, पोतियों, दोहतों और दोहतियों को स्वतन्त्रता सेनानी से सम्बन्धित होने का प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।**

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों को उनके स्वतन्त्रता सेनानी होने बारे आवश्यक प्रमाण-पत्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यदि उन के लड़कों, लड़कियों, पोतों, पोतियों, दोहतों और दोहतियों को स्वतन्त्रता सेनानी से सम्बन्धित होने बारे प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है तो उक्त प्रमाण-पत्र सम्बन्धित स्वतन्त्रता सेनानियों को जारी किए गए प्रमाण-पत्र के आधार पर सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा ही जारी किया जाना बनता है। सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों को इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र सम्बन्धित उपायुक्त से प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वतन्त्रता सेनानियों के उपरोक्त वर्णित सम्बन्धियों को वांछित प्रमाण-पत्र आप द्वारा कृपया जारी किया जाये।

2. कृपया उपरोक्त हिदायतों का दृढ़ता से पालन किया जाये।

हस्ता/-

अवर सचिव, प्रोटोकोल

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

क्रमांक 16/20/93-4 पी०पी० दिनांक 20-4-93

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. हरियाणा राज्य के सभी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)।
2. अध्यक्ष, हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति, चण्डीगढ़।

हस्ता/-

अवर सचिव, प्रोटोकोल

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

क्रमांक 16/36/2004-4पी०पी०

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त तथा
सभी उप-मण्डल अधिकारी (ना०)।
दिनांक चण्डीगढ़ 10.08.2004

विषय :- **स्वतन्त्रता सेनानी सम्बन्धी प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।**

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 16/20/93-4 पी०पी० दिनांक 20.4.93 की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है जिसके अनुसार हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों को उनके स्वतन्त्रता सेनानी होने बारे आवश्यक प्रमाण-पत्र सरकार के स्तर पर जारी किया जाता है तथा इस प्रमाण-पत्र के आधार पर सम्बन्धित स्वतन्त्रता सेनानी के लड़कों, लड़कियों, पोतों, पोतियों, दोहतों और दोहतियों को स्वतन्त्रता सेनानी पर आश्रित/सम्बन्धी होने बारे प्रमाण-पत्र सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा जारी किया जाता है। इस बारे में अब यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वतन्त्रता सेनानियों के लड़कों, लड़कियों, पोतों, पोतियों, दोहतों और दोहतियों को स्वतन्त्रता सेनानी पर आश्रित/सम्बन्धी होने बारे प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सम्बन्धित जिले के उपायुक्त, नगराधीश या सम्बन्धित इलाके के उप मण्डल अधिकारी (ना०) सक्षम होंगे।

भवदीय,

हस्ता०/-
अवर सचिव, न्याचार,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

इसकी एक प्रति अध्यक्ष, हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

हस्ता०/-
अवर सचिव, न्याचार,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

अध्यक्ष, हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति, चण्डीगढ़।

अशा० क्रं० 16/36/2004-4पी०पी०   दिनांक चण्डीगढ़ : 10.08.2004

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त।

यादी क्रमांक 16/36/2004-4पी०पी०

दिनांक चण्डीगढ़ 16-1-2007

विषय : **स्वतन्त्रता सेनानियों एवं उनकी पत्नियों या पतियों अथवा उनके बच्चों को पहचान-पत्र जारी करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 15/35/84-4पी०पी० दिनांक 20/26-7-1984 के संदर्भ में।

2. सरकार द्वारा इस मामले पर पुनः विचार करके राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों, उनकी पत्नियों या पतियों अथवा उनके बच्चों (लड़के/लड़कियों) को पहचान-पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में प्रपत्र जो स्वतन्त्रता सेनानी उनकी पत्नी या पति अथवा बच्चों को भरना है एवं परिचय-पत्र के नमूने की प्रति संलग्न करके भेजी जाती है।

3. सभी जिला पदाधिकारी पहचान-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे :-

1. स्वतन्त्रता सेनानी/पति या पत्नी अथवा बच्चों द्वारा फार्म निहित प्रपत्र में पूर्ण सूचनाओं के साथ भरकर अपने गांव के ग्राम पंचायत सरपंच अथवा शहर के सम्बन्धित वार्ड कमिश्नर से हस्ताक्षर करवाकर सम्बन्धित उपायुक्त के कार्यालय में समर्पित करेंगे।
2. उपायुक्त द्वारा इस फार्म के आधार पर स्वतः जांच कराकर एवं उनके संतुष्ट हो जाने के उपरान्त ही ऐसे परिचय-पत्र जारी करेंगे।
3. पहचान-पत्र उन्हीं स्वतन्त्रता सेनानी एवं पति या पत्नी अथवा बच्चों को जारी किया जाएगा जिनका पूर्ण संस्थापन एवं आपराधिक इतिहास का सत्यापन पुलिस द्वारा किया गया हो और वे स्वच्छ पाये गये हों।
4. इन पहचान-पत्र को जारी करने के लिए सम्बन्धित जिले के उपायुक्त, नगराधीश या सम्बन्धित इलाके के उप-मण्डल अधिकारी (ना०) सक्षम होंगे।

4. कृपया उपरोक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाये।

हस्ता/-

अवर सचिव न्याचार

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

क्रमांक 16/36/04-4 पी०पी० दिनांक चण्डीगढ़ 16-1-2007

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

1. हरियाणा राज्य के सभी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)।
2. अध्यक्ष, हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति, चण्डीगढ़।

हस्ता/-

अवर सचिव न्याचार

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

स्वतन्त्रता सेनानी/पति या पत्नी तथा उनके लड़का/लड़की के परिचय-पत्र हेतु फार्म

1. स्वतन्त्रता सेनानी की पत्नी या पति/लड़का/लड़की का नाम ____________________

2. स्थायी पता ____________________

3. स्वतन्त्रता सेनानी की पत्नी या पति अथवा लड़का/लड़की द्वारा दी जाने वाली सूचना :-

   (क) किसी आपराधिक मामले में संलिप्त केस नं० एवं किस धारा के अन्तर्गत केस दर्ज है

   इसकी पूर्ण सूचना के साथ ____________________

   (ख) स्थानीय थाने में दर्ज कोई मामला पूर्ण (सूचना के साथ) ____________________

4. स्वतन्त्रता सेनानी का नाम व स्थायी पता ____________________

5. आन्दोलन जिसमें भाग लिया (स्वतन्त्रता सेनानी ने) ____________________

6. स्वतन्त्रता सेनानी की जेल अवधि व अन्य यातनाएं ____________________

7. स्वतन्त्रता सेनानी पहचान-पत्र संख्या ____________________

8. पेंशन जो स्वतन्त्रता सेनानी को मिल रही ____________________

9. पी०पी०ओ०न० ____________________

10. स्वतन्त्रता सेनानी से रिश्ता ____________________

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त कथन सही एवं सत्य हैं।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

मैं प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि मैं प्रार्थी के उपरोक्त ब्यौरे से संतुष्ट हूं और इनका परिचय-पत्र बनाने की अनुशंसा करता हूं/करती हूं।

दिनांक

प्रमाणकर्ता के हस्ताक्षर

सरपंच/वार्ड कमिश्नर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती ______________

____

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/विधवा ______________________

निवासी ______________________________________

____

के पिता/की माता/की पत्नी/के पति वास्तविक रूप में स्वतन्त्रता सेनानी हैं/थे। उन्होंने भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में अनेक यातनाएं सहीं। भारत सरकार ने उनको ताम्रपत्र से सम्मानित किया। केन्द्रीय/राज्य सरकार ने इन्हें पेंशन प्रदान की। इनका केन्द्रीय पेंशन क्रम   है।

स्वतन्त्रता सेनानी/पति या पत्नी/
लडका-लडकी के हस्ताक्षर

उपायुक्त

No. 25/113/IHB-III-79/80

From

The Secretary to Government, Haryana,
Health Department

To

The Director of Health Services,
Haryana, Chandigarh.

Sub : **Grant of free medical facilities to the Freedom Fighters-Living in Haryana-Recipients of Tamra Patras.**

Sir,

I am directed to refer to the Haryana Government Health Department Letter No. 12992-IHBI-76/37352 dated the 12/15th November, 1976 on the subject noted above *vide* which free medical facilities, as available to the Haryana Government pensioners as per instructions issued under letter No. 138-2HBI-68/12620 dated the 27th May, 1968 (copy enclosed) were also extended to the Freedom Fighters and their wives/husbands living in Haryana and drawing pensions from the Haryana State/Central Government. It was also provided in that letter that in case of the treatment undergone by the said freedom fighters at P.G.I. Chandigarh the expenditure in the first instance will be borne by them like the Haryana Government pensioners and then they would submit necessary claims for re-imbursement of the expenses from the National Workers' Relief Fund. The above said facilities were to be provided to the Freedom Fighters on production of an Identity Card issued by the respective Deputy Commissioners.

2. The Government of Haryana has now further decided that the above mentioned free medical facilities shall also be extended to such Freedom Fighters and their spouses (wives/husbands) who are only Tamra Patra recipients irrespective of their income.

3. This issues with the concurrence of the Finance Department received *vide* their U.O. No. 56/29/IFD-II-79(5567/1048), dated the 3rd March, 1980.

Yours faithfully

Sd/-
Under Secretary Health,
for Secretary to Govt., Haryana,
Health Department.

A copy is forwarded to the Chief Secretary to Govt., Haryana, for information, with reference to the correspondence resting with his U.O. No. 49/41/78-4PP, dated the 17th April, 1979.

2. As advised in the above referred communication the medical reimbursement claims of the Tamra Patras Recipient and their wives/husbands are to be met from the National Workers' Relief Fund

out of which other Freedom Fighters are getting their pensions. It is requested that necessary instructions in this behalf may kindly be issued to the quarters concerned.

3. If considered necessary wide publicity to this decision may also be given through the Director of Public Relations, Haryana.

Sd/-

Under Secretary Health
for Secretary to Govt., Haryana,
Health Department.

To

The Chief Secretary to Govt., Haryana (in P.P. Br.)
Chandigarh.

U.O. No. 25/113/1HB-III-80, Dated Chandigarh, the March, 19 80

A copy is forwarded to the Secretary to Govt., Haryana, Finance Department, for information, with reference to their U.O. No. 56/29/1FD-II-79 (5567/1048)), dated the 3rd March, 80.

Sd/-

Under Secretary Health,
for Secretary to Govt., Haryana,
Health Department.

To

The Secretary to Govt., Haryana,
Finance Department.

U.O. No. 25/113/1HB-III-80, Dated Chandigarh, the March, 1980

पृ० क्रमांक 37/24-3 पी०एम०-80/4720-31 दिनांक 10-4-80

इसकी एक प्रतिलिपि हरियाणा राज्य के अधीन सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

हस्ता०/-

अधीक्षक, पी० एम०
कृते : निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा।

From

The Chief Secretary to Govt., Haryana.

To

The Treasurer,
Charitable Endowments, Haryana
SCO No. 909, 2nd Floor, Manimajra,
Chandigarh.

Memo No. 16/63/2006-4PP
Dated Chandigarh, the 17th October, 2006.

Subject : Reg. Merger of Dearness Relief in the Basic Samman Pension of Freedom Fighters/ their Widows belonging to Haryana State.

In continuation of the Haryana Government Memo No. 15/142/89-4PP dated 25-4-2005 on the subject cited above.

2. Sanction of Governor of Haryana is hereby accorded to the Merger of Dearness Relief at the rate of 50% with the Basic Samman Pension i.e. Rs. 3250/- of the Freedom Fighters/their Widows belonging to Haryana State at the pattern of Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme 1980.

3. Accordingly, the onward payment of Samman Pension to the Freedom Fighters/their Widows belonging to Haryana State may be made at the rate of Rs. 4875/- per month (including Dearness Relief @ 50% i.e., Rs. 1625-) with effect from 15-8-2006. The fixed medical allowance @ Rs 250/- per month may also be paid along with the Samman Pension.

4. It is also advised that for the time being this additional amount may be met out of the over all Grant No. 13 and provisions for the amount involved on account of the merger of the Dearness Relief in the Basic Samman Pension may please be asked for in the revised estimates for the year 2006-07.

5. This sanction issues with the concurrence of the Finance Department conveyed vide their U.O. No. 1/38/2006-5FG-11(1842) date 6-10-06.

Sd/-
Under Secretary Protocol
for Chief Secretary to Government, Haryana.

No. 16/63/2006-4PP Dated Chandigarh, the 17th October, 2006.

A copy is forwarded to the Accountant General, (A&E) Haryana, Chandigarh for information.

Sd/-
Under Secretary, Protocol
for Chief Secretary to Government, Haryana.

A copy is forwarded to the Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Finance Department with ref. to his U.O. No. 1/38/2006-5 FG-11(1842) Dated 6-10-2006.

Sd/-
Under Secretary, Protocol
for Chief Secretary to Government, Haryana.

To

The Financial Commissioner and Principal Secretary to Government,
Haryana, Finance Department.

U.O. No. 16/63/2006-4PP Dated Chandigarh, the 17th October, 2006.
No. 16/63/2006-4PP Dated Chandigarh, the 17th October, 2006.

A copy is forwarded to the Director, Public Relations Department, Haryana for information and necessary action. It is requested that wide publicity may be given to this decision of the Haryana Government.

Sd/-
Under Secretary, Protocol
for Chief Secretary to Government, Haryana.

U.O. No. 16/63/2006-4PP Dated Chandigarh, the 17th October, 2006.

A copy is forwarded to the Chairman, Haryana Swatantrata Sainik Samman Samiti, Chandigarh for information.

Sd/-
Under Secretary, Protocol
for Chief Secretary to Government, Haryana.

A copy is forwarded to the Principal Secretary/Addl. Principal Secy.-I & II/OSD-I & II to the Chief Minister, Haryana for the kind information of the Chief Minister, Haryana.

Sd/-

Under Secretary, Protocol
for Chief Secretary to Government, Haryana.

To

The Principal Secretary/Addl. Principal Secy.–I & II/OSD-I & II to the
Chief Minister, Haryana.

U.O. No. 16/63/2006-4PP Dated Chandigarh, the 17th October, 2006.

Copy of letter No. 2/202/82-1HB-III, dated 18-1-1991 from the Commissioner & Secretary to Govt., Haryana to The Director General, Health Services, Haryana, Chandigarh and others.

Subject: **Grant of medical facilities to the freedom fighters and their spouses living in Haryana—Reimbursement of the cost of Dentures.**

I am directed to invite your attention to the Haryana Govt., letter No. 2/202/1HB-III-82, dated 7th March, 1984 *vide* which the benefit of reimbursement of medical charges in connection with fixing of dentures was allowed to the freedom fighters and their spouses living in Haryana. The State Govt. on re-consideration have now decided to raise the maximum amount of reimbursement for complete & partial denture by a private as under :—

	Maximum amount to be reimbursed
(i) Partial Denture / For 1-4 teeth	Rs. 100/-
(ii) Partial Denture / For 5-10 teeth	Rs. 200/-
(iii) Partial Denture / exceeding 10 teeth	Rs. 300/-
	or actual cost which ever is less
(iv) Half Denture	Rs. 500/-
(v) Complete Denture	Rs. 1000/-

2 (i) The above benefit will be admissible only once in life-time and the reimbursement of the cost of Denture is not included in the fixed medical allowance.

These instructions will take effect from the date of issue.

3. This issues with the concurrence of the Finance Department conveyed *vide* their U.O. No. 1/80/86-3FG-II/3248 dated 21-11-90.

Sd/-

Under Secretary Health,

for Commissioner and Secretary, to Government,

Haryana, Health Department.

No. 2/628/2003-1HB

From

The Commissioner & Secretary to Government Haryana,
Health Department.

To

1. All Heads of Department.
2. Commissioners of Ambala, Gurgaon, Hisar & Rohtak Division.
3. All Deputy Commissioners & Sub. Divisional Officers (Civil) in the State.
4. The Registrar, Punjab & Haryana High Court Chandigarh & All District and Sessions Judges in the State of Haryana.

Dated Chandigarh, the 7.7.2004

Subject : **Grant of Medial facilities to Government Servants and their Dependents, pensioners and their spouses re-imbursement of Cost of dentures.**

....

Sir,

I am directed to invite your attention to the Haryana Government letter No. 2.289/1HBIII-89, dated 4.9.89 *vide* which the benefit of reimbursement of medical charges in connection with fixing of dentures was allowed to its Government employees and their dependents as well as to the State Government's pensioners and their spouses. The State Government on re-consideration have now decided to revise the rates of fixing dentures as under :—

Items		Maximum amount to be reimbursed	
		Existing rates	Revised rate
(i)	Partial Denture involving 1 to 4 teeth	Rs. 100/-	200/-
(ii)	Partial Denture involving 5 to 10 teeth	Rs. 200/-	400/-
(iii)	Partial Denture involving more than 10 teeth	Rs. 300/-	600/-
(iv)	Half Denture	Rs. 500/-	1000/-
(v)	Complete Denture	Rs. 1000/-	2000/-

2. The above connection will be allowed subject to the following conditions :—

(i) The total reimbursement allowed to an individual both for fixing of the complete and a partial denture shall not exceed Rs. 2000/-.

(ii) This benefit will be admissible to the entitled person only once in life time.

(iii) The reimbursement of the cost of dentures is not included in the fixed medical allowance.

(iv) these instructions will take effect from the date of issue of this letter.

(v) This should be brought to the notice of all concerned.

(vi) This issues with the concurrence of the Finance Department conveyed *vide* their U.O. No. 70/200/2003-6FDII/8205 dated 24.6.2004.

Sd.
Superintendent Health-III,
for Commissioner & Secretary to Govt.,
Haryana, Health Department.

Endst. No. 2/628/2003-1HBIII Dated : 7.7.2004

A copy is forwarded to the Accountant General, Haryana, Chandigarh for information.

Sd.
Superintendent Health-III,
for Commissioner & Secretary to Govt.,
Haryana, Health Department.

A copy is forwarded to all the Financial Commissioners/Commissioners and Secretaries for information and necessary action.

Sd.
Superintendent Health-III,
for Commissioner & Secretary to Govt.,
Haryana, Health Department.

To

All the Financial Commissioners/
Commissioners and Secretaries to
Government, Haryana.

U.O. No. 2/628/2003-1HBIII Dated : 7.7.2004

A copy is forwarded to the Financial Commissioner and Principal Secretary to Govt. Haryana, Finance Department for information with reference to his U.O. No. 70/200/2003-6FDII/8205 dated 24.6.04.

Sd.
Superintendent Health-III,
for Commissioner & Secretary to Govt.,
Haryana, Health Department.

To

The Financial Commissioner &
Principal Secretary to Govt Haryana,
Finance Department.

U.O. No. 2/628/2003-1HBIII Dated : 7.7.2004

No. 2/628/2003-1HBIII Dated : 7.7.2004

A copy is forwarded to the Director, Public Relations, Haryana, Chandigarh. He is requested to give wide publication.

Sd.
Superintendent Health-III,
for Commissioner & Secretary to Govt.,
Haryana, Health Department.

क्रमांक 2/230/96-1एच०बी० III

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

स्वास्थ्य विभाग।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष।

2. आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुड़गांव व रोहतक मण्डल।

3. सभी उपायुक्त, सभी उपमण्डल अधिकारी (सिविल)।

4. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ़

तथा सभी जिला तथा सैशन जज।

दिनांक चण्डीगढ़ 28 फरवरी, 2001

विषय : **हियरिंग ऐड मशीन को प्रतिपूर्ति योग्य घोषित करने बारे।**

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 2/103/87-1 एच०बी० III, दिनांक 18.3.88 की ओर दिलाऊं जिस द्वारा हियरिंग ऐड पर वास्तविक खर्चे की अदायगी का प्रावधान है। इस विभाग द्वारा हियरिंग ऐड लगवाने पर इसकी प्रतिपूर्ति करने बारे पुनः विचार किया गया क्योंकि आजकल आधुनिक हियरिंग ऐड की कीमत काफी होने पर उसकी प्रतिपूर्ति सम्भव नहीं है। इस मामले में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सभी कर्मचारियों/पेंशनर्ज, स्वतन्त्रता सेनानियों तथा अन्य सभी के लिये हियरिंग ऐड मशीन को लगवाने के लिये 3000/- रुपये की राशि इस शर्त पर निर्धारित करता है कि हियरिंग ऐड मशीन पर होने वाला वास्तविक खर्च अथवा 3000/- रुपये फिक्स में से वही राशि देय होगी जो दोनों में से कम होगी।

2. सभी सम्बन्धित को यह भी परामर्श दिया जाता है कि हियरिंग ऐड मशीन की प्रतिपूर्ति तभी प्रदान की जाये जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उसके समान रैंक वाले डाक्टर द्वारा इसकी सिफारिश की गई होगी।

यह अनुदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

कृपया यह सूचना सभी सम्बन्धित के ध्यान में ला दी जाए।

मामले में वित्त विभाग की सहमति उनके अशा: क्रमांक 2187/6एफ०डी०II/2000, दिनांक 19.1.2001 द्वारा प्राप्त कर ली है।

हस्ता/-

अवर सचिव स्वास्थ्य-II

कृते : वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

स्वास्थ्य विभाग।

पृ० क्रमांक 2/240/96-Iएच०बी०III दिनांक चण्डीगढ़ फरवरी, 2001

एक प्रति महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित है।

हस्ता/-
अवर सचिव स्वास्थ्य-II
कृते : वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

इसकी एक प्रति सभी वित्तायुक्त/आयुक्त/प्रशासकीय सचिव को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

हस्ता/-
अवर सचिव स्वास्थ्य-II
कृते : वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

अशा: क्रमांक 2/230/96-Iएच०बी०III दिनांक चण्डीगढ़ फरवरी, 2001

पृ० क्रमांक 2/230/96-Iएच०बी०III दिनांक चण्डीगढ़ फरवरी, 2001

एक प्रति हरियाणा के सभी निगमों/बोर्डो के मैनेजिंग डायरैक्टर्ज को सूचनार्थ प्रेषित है।

हस्ता/-
अवर सचिव स्वास्थ्य-II
कृते : वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

एक प्रति वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके अशा: क्रमांक 2/218/6 वि०विक०-II/2000, दिनांक 19.1.2001 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

हस्ता/-
अवर सचिव स्वास्थ्य-II
कृते : वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

सेवा में

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

अशा: क्रमांक 2/230/96-Iएच०बी०III दिनांक चण्डीगढ़ फरवरी, 2001

क्रमांक 2/30/87-1 एच०बी०-III

प्रेषक

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल।
2. सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा राज्य में।
3. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ़ तथा सभी जिला सैशन जज, हरियाणा राज्य में।

दिनांक, चण्डीगढ़ 18.3.1988

विषय : **Hearing Aid Appliance को प्रतिपूर्ति योग्य घोषित करने बारे।**

महोदय,

मुझे यह निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकार के अनुदेश क्रमांक 2/526/80-1 एच०बी०–III, दिनांक 15-7-87 की ओर दिलाऊं तथा कहूं कि सरकारी कर्मचारियो/पेंशनर्ज की कठिनाइयों को सम्मुख रखते हुए सरकार ने Hearing Aid Appliance को प्रतिपूर्ति योग्य आईटम घोषित करने का निर्णय लिया है। अत: इस आईटम के वास्तविक खर्चे की तभी प्रतिपूर्ति की जायेगी, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी या इसके समान रैंक वाले डाक्टर द्वारा इसकी सिफारिश की गई होगी।

2. ये हिदायतें तुरन्त प्रभाव से लागू होंगी।

भवदीय

हस्ता/-

अवर सचिव, स्वास्थ्य,
कृते : आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

प्रेषक

महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, हरियाणा।

सेवा में

राज्य के सभी सिविल सर्जन।

यादि क्र० 2 पी० एम०-04 /2684-2702 दिनांक 10.3.04

विषय : स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. भारत को आजाद हुये 56 वर्ष बीत चुके हैं। यह आजादी हमें लोगों के कठिन परिश्रम व महत्वपूर्ण बलिदान से प्राप्त हुई है। स्वतन्त्रता सेनानियों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। आजादी के बाद देश ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है, परन्तु जिन व्यक्तियों के बलिदान के कारण आज हम उन्नति की राह पर अग्रसर हैं, उनकी कुर्बानी का सिला नहीं मिल रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वे सभी व्यक्ति, जो आज भी एक मिसाल हैं, उनको सम्मान देना हमारा कर्तव्य बनता है।

3. स्वास्थ्य विभाग का भी इनके प्रति कुछ उत्तरदायित्व है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि इन कर्मठ नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। इसके लिए आपको निम्नलिखित आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं।

* अपने जिले के उपायुक्त एवं उप मण्डल अधिकारी (SDM) से सम्पर्क करके जिले के सभी स्वतन्त्रता सेनानियों की सूची, जिसमें उनका निवास स्थान का पता भी हो, प्राप्त की जाये।
* सभी सेनानियों का स्वास्थ्य निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर ध्यानपूर्वक व आदर सहित किया जाये।
* क्योंकि आजादी के 56 वर्ष बीत चुके हैं, इन सेनानियों में कुछ लोग ऐसे हैं, जो बहुत वृद्ध हैं तथा स्वास्थ्य संस्थाओं में आने में असमर्थ हैं, ऐसे सेनानियों की उनके घर पर जाकर चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जांच करवाई जाए और उन्हें आवश्यक दवाइयां इत्यादि उपलब्ध करवाई जाएं।
* अगर आवश्यक हो तो उनको संस्था में पूर्ण जांच हेतु लाने तथा ले जाने का प्रबन्ध किया जाये।
* संस्था में उपलब्ध दवाइयां उन्हें मुफ्त में दी जायें।
* अगर किसी सेनानी को चश्मे की आवश्यकता है तो वह भी मुफ्त दिया जाये।
* इस कार्य हेतु जिला स्वास्थ्य संस्था समिति के चेयरमैन होने के नाते उपायुक्त महोदय की भी सहायता ली जा सकती है।
* प्रतिमाह आपके जिले में निदान व उपचार किए गए स्वतन्त्रता सेनानियों की रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाए।
* सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रति सौहार्द व्यवहार रखने बारे आवश्यक निर्देश दिए जाएं।

* इस बारे अपने जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रभारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

उपरोक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए।

हस्ता/-

महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, हरियाणा

क्र० : 2 पी० एम०-04/2704-64 दिनांक 10.3.04

इसकी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग, चण्डीगढ़
2. राज्य के सभी उपायुक्त
3. राज्य के सभी उप मण्डल अधिकारी

हस्ता/-

महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, हरियाणा

Copy of memo No. 14/11/84-3T, dated 27-3-86 from the Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Transport Department addressed to the Transport Commissioner, Haryana, Chandigarh.

Subject : Free Travel Concession to the Freedom Fighters in Haryana Roadways buses.

Sanction is accorded to the grant of free travel concession to the freedom fighters in Haryana Roadways buses in Haryana and Delhi only on the same pattern as to the Haryana M.L.As. However, the freedom fighters would be required to carry the identity cards with a photograph in order to be eligible for this travel concession. Necessary instructions may kindly be issued to all concerned immediately.

Office of the Transport Commissioner, Haryana, Chandigarh.

Endst. No. 1911-25/CA 2 Dated 17-4-86

A copy is forwarded to all General Managers, Haryana Roadways for information and necessary action.

Sd/-
Joint State Transport Controller,
Haryana.

Haryana Government

Protocol Department

No. 15/9/85-4PP dated Chandigarh, the 28-5-1986

A copy each is forwarded for information and necessary action to the :—

1. Commissioners, Ambala/Hisar Divisions.
2. All Deputy Commissioners in Haryana

Sd/-
Deputy Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Govt., Haryana.

A copy each is forwarded to all Financial Commissioners and Administrative Secretaries to Government, Haryana for information.

Sd/-
Deputy Secretary Protocol,
for Chief Secretary to Govt., Haryana.

To

All the Financial Commissioners & Administrative Secretaries to Govt., Haryana.

U.O. No. 15/9/85-4PP dated Chandigarh, the 28-5-86

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग द्वारा परिवहन आयुक्त हरियाणा को लिखे गये यादी क्रमांक 14/11/84-4 परि;, दिनांक 5-8-1988 की प्रति

विषय : हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर की सुविधा बारे।

उपरोक्त विषय पर आपके यादी क्रमांक 2070/सी, ए-5/एल एण्ड बी, दिनांक 10-6-88 के संदर्भ में।

2. इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि स्वतन्त्रता सेनानियों को अपनी पत्नी या एक सहायक के साथ हरियाणा रोडवेज की साधारण तथा डीलक्स बसों में केवल हरियाणा व दिल्ली में मुफ्त सफर की सुविधा प्रदान की गई है।

हरियाणा सरकार
न्याचार एवं प्रचार विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 15/129/35-4 पी. पी. दिनांक चण्डीगढ 25-8-1988.

एक प्रति निम्नलिखित को इस विभाग के पृ० क्रमांक 15/9/85-पी० पी०, दिनांक 28-5-86 के संदर्भ में सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :—

1. आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल।
2. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त।

हस्ता/-
उप सचिव, प्रोटोकोल,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक-एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्त एवं प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ भेजी जाती है।

हस्ता/-
उप सचिव, प्रोटोकोल,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्त
एवं प्रशासकीय सचिव।

अशा : क्रमांक 15/129/85-4 पी. पी. दिनांक चण्डीगढ 25-8-1988

पृ० क्रमांक 15/129/85-4 पी. पी. दिनांक चण्डीगढ 25-8-1988

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैं :-

1. अध्यक्ष, हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति।
2. निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा

हस्ता/-
उप सचिव, प्रोटोकोल,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पत्र की प्रति अधीक्षक परिवहन, कृते आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग की ओर से परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ को उनके यादी क्रमांक 14/11-84-4 परिवहन दिनांक 20-12-88।

विषय:- **स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा करते समय अपने साथ एक सहायक को भी रखने बारे।**

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक 3747/सी ए-5/सी दिनांक 22-10-88 के संदर्भ में।

मामले में विचारोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वतन्त्रता सेनानियों को चण्डीगढ़ आने जाने के लिए भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान कर दी जाए। इस विषय में सभी महा प्रबन्धकों को आवश्यक हिदायतें शीघ्र जारी कर दी जायें तथा एक प्रति सरकार को भी भेजी जाए।

3. सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं को यह सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती।

हस्ता/-
कार्यालय परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक 145-163/सी ए-5 सी दिनांक 11-1-1989.

इसकी एक प्रति हरियाणा राज्य परिवहन के सभी महा प्रबन्धकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

हस्ता/-
कृते : परिवहन आयुक्त, हरियाणा।

पृ० क्रमांक 164 सी ए-5/सी दिनांक 11-1-1989.

इसकी एक प्रति आयुक्त एवं सचिव परिवहन हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग को उनके यादी क्रमांक 14/11/84-4 परि० दिनांक 20-12-88 के संदर्भ में सूचनार्थ भेजी जाती है।

हस्ता/-
कृते : परिवहन आयुक्त, हरियाणा।

A copy of letter No. 14/11/89-4T dated, Chandigarh, the 29-9-89 from the Financial Commissioner & Secretary to Govt., Haryana, Transport Department to the Transport Commissioner, Haryana, Chandigarh.

Subject : Grant of Free travel facility to the widows of Freedom Fighters in buses of Haryana Roadways.

Reference your memo No. 912/CA-5/C, dated 9-3-89 on the subject noted above.

2. Sanction of the Governor of Haryana is accorded to grant of free travel facility to the Widows of freedom fighters in Haryana Roadways buses in Haryana, Chandigarh and Delhi only on the same pattern as to the freedom fighters of Haryana State.

3. Necessary instructions may kindly be issued to all concerned immediately.

Haryana Government
General Administration
(Protocol) Department

Endst. No. 15/115/89-4PP dated Chandigarh the 13th March, 91

A copy is forwarded to the All Deputy Commissioners of Haryana State & Commissioners, Ambala, Hisar, Rohtak and Gurgaon Divisions for information and necessary action.

Sd/-
Superintendent Protocol & Publicity,
for Chief Secretary to Government, Haryana

A copy is forwarded to the Chairman, Haryana Swatantrata Sainik Samman Samiti for information and necessary action.

Sd/-
Superintendent Protocol & Publicity,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

परिवहन आयुक्त हरियाणा।

सेवा में

सभी सचिव,
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी,
हरियाणा।

यादी क्रमांक /एफ-6
दिनांक

विषय : **सहकारी समितियों द्वारा चलाई गई बसों में स्वतन्त्रता सेनानियों को मुफ्त यात्रा सुविधा देने बारे।**

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय में शिकायत प्राप्त हुई कि सहकारी परिवहन समितियों द्वारा चलाई गई बसों में स्वतन्त्रता सेनानियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है।

उक्त संदर्भ में जैसाकि पहले भी निर्णय लिया गया है कि सहकारी समितियों द्वारा जो बसें चलाई जा रही हैं उन बसों में स्वतन्त्रता सेनानियों को एक सहयोगी सहित मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी गई है। इस सम्बन्ध में सभी सहकारी परिवहन समितियों को सूचित कर दिया जाए तथा इसके प्रति की गई कार्यवाही से कृपया इस कार्यालय को भी सूचित करें।

हस्ता/-

कृते : परिवहन, आयुक्त, हरियाणा।

पृ० क्रमांक 5383 / एटी 56 दिनांक 31-10-1994

इसकी एक प्रति अध्यक्ष, हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति, हरियाणा सिविल सचिवालय चण्डीगढ को उनके अर्ध सरकारी पत्र ह.स.स.स.स./94/662 दिनांक 24-8-94 के संदर्भ में सूचनार्थ भेजी जाती है।

हस्ता/-

कृते : परिवहन, आयुक्त, हरियाणा।

हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति

पृ० क्रमांक ह.स.स.स.स./94/875 दिनांक 11-11-1994

इसकी एक प्रति सभी जिला फ्रीडम फाईटर एसोसिएशन के प्रधानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

हस्ता/-
अध्यक्ष
हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति।

From

The Chief Administrator,
Haryana Urban Development Authority,
Chandigarh.

To

All the Administrators/Estate Officers,
Haryana Urban Development Authority.

Memo No. A-11-84/1128-1139
Dated 9-1-85

Subject : Reservation of residential plots to Freedom Fighters.

Please refer to the above noted subject.

2. The question of reservation of residential plots for the Freedom Fighters, their sons and grand sons has been under consideration for sometime. It has been decided that in all residential sectors in future where the plots are floated by HUDA, 2% upto & below 6 Marla plots be reserved for allotment to the Freedom Fighters.

Sd/-
for Chief Administrator,
Haryana Urban Development
Authority, Chandigarh

No. A-11-84/1140 Dated 9-1-85

A copy is forwarded to the Commissioner & Secretary to Government, Haryana, Town & Country Planning Department for information with reference to his Endst. No. 18/52/84-2 TCP dated 2-8-84.

Sd/-
for Chief Administrator,
Haryana Urban Development Authority.

प्रेषक

निदेशक, खाद्य व पूर्ति, हरियाणा।

सेवा में

हरियाणा राज्य के
सभी जिला खाद्य व पूर्ति नियन्त्रक।

यादी क्रं० 1494-एफ.जी-4-90/5989
दिनांक चण्डीगढ़ 12/14-3-1990

विषय : **स्वतन्त्रता सेनानियों को उचित मूल्य की दुकानों की अलाटमेंट में वरीयता देने बारे।**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

2. हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों ने हरियाणा सरकार को मांग की थी कि उचित मूल्य की दुकानों में अलाटमेंट करने में उन्हें वरीयता दी जाये। इस मामले को विचारने पर निर्णय लिया गया है कि उचित मूल्य की दुकानों की अलाटमेंट करते समय स्वतन्त्रता सेनानियों को भी वरीयता (Priority) देवें और उन द्वारा डिपो के लिए प्रार्थना-पत्र देने पर पूर्ण सहयोग तथा सहानुभूति देवें।

हस्ता/-

अतिरिक्त निदेशक, पूर्ति
कृते : निदेशक खाद्य व पूर्ति, हरियाणा।

पृ० क्र० 1494-एफ०जी०/-4-90/5990 दिनांक 12-3-1990

उपरोक्त की एक प्रति मुख्य सचिव, हरियाणा को उन के अशा० क्र० 15/39/88-4पी०पी० दिनांक 27-2-90 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

हस्ता/-

अतिरिक्त निदेशक, पूर्ति
कृते : निदेशक खाद्य व पूर्ति, हरियाणा।

From

Director, Urban Development,
Haryana, Chandigarh.

To

1. E.Os/Secretaries of all the Municipalities in Haryana State.

2. Administrator of all Improvement Trusts in State

Memo No. CTP/AII/2005/40372-458

Dated : 16/9/05

Subject : **Reservation of plots in residential schemes for the Freedom fighters and their dependents.**

On the subject cited above, the Government has considered the request of All India Freedom Fighters Organization, New Delhi to reserve 2% of the plots upto 6 marla category in the planned residential colonies of Municipalities and Improvement Trusts. It has been decided to reserve 2% of the total number of plots upto 6 marla category in the planned residential colonies of Municipalities, Town Planning schemes and Development schemes of Improvement Trusts for the Freedom Fighters and their dependents. These plots shall be allotted through draw of lots. Hence, you are directed to strictly enforce this decision of the Government in the Schemes to be prepared in future.

Sd/-
District, Town Planner,
for Director, Urban Development,
Haryana, Chandigarh.

Endst. No. CTP/AII/2005/40459-78 Dated 16/9/05

A copy is forwarded to all the Deputy Commissioners in the State for information and necessary action please.

Sd/-
District, Town Planner,
for Director, Urban Development,
Haryana, Chandigarh.

Endst. No. CTP/AII/2005/40479 Dated 16/9/05

Copy is forwarded to the Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Urban Development Department w.r.t. his memo no. 8/71/2005-6CI, dated 13.7.2005 along with the photocopies of the noting pages containing the decision of the Government for information and necessary action please.

Sd/-
District, Town Planner,
for Director, Urban Development,
Haryana, Chandigarh.

हरियाणा सरकार
नगर विकास विभाग
(समितियां)
अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2006

संख्या 9/72/2003-5क-I.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 84 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 9/72/2003-5क-I, दिनांक 16-12-2003 के क्रम में हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा सरकार, नगर विकास विभाग (समितियां) अधिसूचना संख्या 9/32/2001-5क-I, दिनांक 13-12-2001 में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं,

नामत:-

प्रावधान के खण्ड 6 में प्रथम पंक्ति के अंत में, "तथा भूतपूर्व सैनिकों" शब्दों के बाद, "तथा स्वतन्त्रता सेनानियों व उनके बच्चों" शब्दों को सम्मिलित किया जाता है।

एन.बाला.बास्कर
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर विकास विभाग।

पृ० क्र० 9/72/2003-5क-I

दिनांक 11-5-2006

एक प्रति नियंत्रक तथा लेखन सामग्री विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ को अधिसूचना हरियाणा सरकार के गजट (असाधारण) में प्रकाशित करने हेतु भेजी जाती है। यह भी अनुरोध है कि अधिसूचना की 100-100 प्रतियां (अंग्रेजी व हिन्दी) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर विकास विभाग व निदेशक, नगर विकास, हरियाणा को भेजने का कष्ट करें।

हस्ता/-

अधीक्षक कमेटी-I
कृते : वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर विकास विभाग।

पृ० क्र० 9/72/2003-5क-I

दिनांक 11-5-2006

एक प्रति निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. निजी सचिव/अ.प्र.स. मुख्य मंत्री-II
2. राज्य के सभी मण्डलायुक्त।
3. निदेशक, नगर विकास, हरियाणा, चण्डीगढ़।
4. राज्य के सभी उपायुक्त।
5. राज्य के सभी कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगर परिषद्/नगरपालिकाएं।

हस्ता/-

अधीक्षक कमेटी-I
कृते : वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर विकास विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
(COMMITTEES)

Notification

The 11th May, 2006

No. 9/72/2003–5 C–I.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 69 read with Sub-section (1) of Section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 and in continuation of Haryana Government Notification No. 9/72/2003-5C-I, dated 16-12-2003, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Development Department (Committees), Notification No. 9/32/2001-5C-I, dated the 13th December, 2001, with immediate effect, namely :—

In the proviso, in clause 6, after the words, "and ex-servicemen" in the end of the 1st line, the words, "and freedom fighters and their children" shall be inserted.

N. Bala Baskar,
Financial Commissioner & Principal Secretary to
Govt. Haryana , Urban Development Department.

हरियाणा सरकार

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 दिसम्बर, 2003

संख्या 9/72/2003-5क-I :— हरियाणा नगरपालिका एक्ट, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 69 के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 84 की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल आंशिक अधिसूचना क्रमांक 9/32/2001-5क-I दिनांक 13-12-2001 का अतिक्रमण करते हुए इस के क्र० नं० 1 पर ''स्वतन्त्रता सेनानी'' शब्द शामिल करते हैं।

पी०के० गुप्ता

कृते : आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर विकास विभाग।

पृ० क्र० 9/72/2003-5क-I दिनांक 16-12-2003

एक प्रति नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हरियाणा, चण्डीगढ को अधिसूचना हरियाणा सरकार के गजट (असाधारण) में प्रकाशित करने हेतु भेजी जाती है। यह भी अनुरोध है कि अधिसूचना की 100-100 प्रतियां (अंग्रेजी व हिन्दी) आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा व निदेशक, नगर विकास, हरियाणा को भेजने का कष्ट करें।

हस्ता/-

अधीक्षक कमेटी-I,
कृते : आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर विकास विभाग।

पृ० क्र० 9/72/2003-5क-I दिनांक 16-12-2003

एक प्रति निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. राज्य के सभी मण्डलायुक्त।
2. निदेशक, नगर विकास, हरियाणा, चण्डीगढ।
3. राज्य के सभी उपायुक्त।
4. राज्य के सभी कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगर परिषद/नगरपालिकाएं।

हस्ता/-

अधीक्षक कमेटी-I
कृते : आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर विकास विभाग।

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 13th December, 2001]

हरियाणा सरकार

नगर विकास विभाग,

(समितियां)

अधिसूचना

दिनांक 13 दिसम्बर, 2001

संख्या 9/32/2001-5CI.—हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24), की धारा 69 के खण्ड (क) साथ पठित धारा 84 की उप धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इस सम्बन्ध में जारी की गई सभी पूर्व अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि हरियाणा राज्य में सभी नगरपालिका समितियाँ/नगरपरिषदें सम्बद्ध नगरपालिकाओं की सीमाओं के भीतर के वार्षिक मूल्य का रिहायशी भवनों पर अढ़ाई प्रतिशत तथा सभी अन्य भवनों पर 5 प्रतिशत की दर पर "भवनों तथा भूमियों" पर अधिरोपित करेंगी :

परन्तु निम्नलिखित भवन तथा भूमियों को कर के भुगतान से छूट प्राप्त होगी, अर्थात् :—

1. सभी मस्जिदों, मंदिरों, गिरजाघरों, धर्मशालाओं, गुरुद्वारों, पुण्यार्थ अस्पतालों एवं औषधालयों, अनाथालयों, भिक्षुकघरों, पेयजल झरनों, नगरपालिका भवनों तथा भूमियों, मुस्लिम कब्रिस्तानों, हिन्दु श्मशान घाटों, ईसाई कब्रिस्तानों, ईमामबाड़े, समिति के प्रबन्ध के अधीन सरकारी नजूल भूमियां।

2. सभी नवनिर्मित आवासीय भवन, ऐसे भवनों के निर्माण के पूरा होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिये गिने जायेंगे। भवन के पूरा होने की तिथि कब्जा लेने की तिथि से अथवा भवन पूरा होने के प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि, जो भी पहले हो, से गिनी जायेगी।

3. सभी आवासीय भवन तथा भूमियां जहां वार्षिक मूल्य नगरपरिषदों में पांच हजार रुपये तथा नगरपालिका समितियों में तीन हजार रुपये से अधिक न हो।

4. धार्मिक, शैक्षणिक अथवा पुण्यार्थ संस्थाओं से सम्बद्ध अथवा इनके स्वामित्वाधीन अथवा न्यास के अधीन आने वाली पूर्ण रूप से धार्मिक, शैक्षणिक अथवा पुण्यार्थ संस्थायें अथवा जो धार्मिक, शैक्षणिक अथवा पुण्यार्थ प्रयोजनों के लिये पूर्ण रूप से न्यास के अधीन की गई हैं तथा किसी विधान के अधीन सम्यक् रूप से पंजीकृत है तथा अन्तरणीय हैं। सभी भवन तथा भूमियां परन्तु ये समुदाय को बिना किसी प्रकार के सेवायें उपलब्ध करवा रही हैं तथा सम्पूर्ण आय धार्मिक, शैक्षणिक पुण्यार्थ कार्यों के लिये हरियाणा राज्य में लगाई या उपयोग की जाती है, परन्तु यह और कि ऐसी संस्थायें समिति को अपनी सम्पत्तियों तथा आय के बारे में सूचित करेंगी तथा इसकी आय निजी, धार्मिक या किसी विशेष जाति समुदाय के लाभ के लिये प्रयुक्त नहीं की जाती या जिन्हें प्रयुक्त किये जाने का आशयित नहीं है। पुण्यार्थ प्रयोजनों में शामिल है, गरीबों के लिये शिक्षा और चिकित्सा राहत तथा जन-साधारण उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की प्रगति के लिये कोई क्रिया-कलाप जिसमें कोई लाभ संलिप्त न हो। नगरपालिका कोई भी छूट प्रदान करने से पूर्व ऐसी सूचना और रिकार्ड मांगेगी जो कि ऐसी छूट के दावे के सहीपन के लिये उसकी संतुष्टि के लिये जरूरी हो। यदि कोई गलत सूचना/रिकार्ड समिति के ध्यान में आता है अथवा समिति के ध्यान में लाया जाता है तो कर, की राशि का दो गुणा तुरन्त प्रभार्य होगा और संस्थायें कर छूट से अगले पांच वर्ष के लिए वंचित कर दी जायेंगी। तथापि, ऐसी अवधि की समाप्ति पर संस्थाओं को कर छूट के लिये पुनः विचारा जा सकता है, यदि यह विद्यमान उपबन्धों के अधीन छूट के योग्य है।

5. विधवाओं अथवा सौ प्रतिशत विकलांग के स्वामित्वाधीन सभी आवासीय भवन तथा भूमियां बशर्ते जिनका हरियाणा राज्य में अन्य कोई आवासीय गृह न हो तथा उक्त सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य नगरपरिषद् में आठ हजार रुपये तथा नगरपालिका में पांच हजार रुपये से अधिक न हो।

6. भूतपूर्व सैनिकों अथवा मृतक सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के स्वामित्व के अधीन सभी भवन तथा भूमियां बशर्ते उनके पास हरियाणा राज्य में कोई अन्य आवासीय गृह न हो और इसमें वे स्वयं रह रहे हों और गृह का कोई भाग किराये पर न दे रखा हो, परन्तु यह और कि गृह किराये पर देने की शर्त उन पर लागू नहीं होगी जो बारह सौ पच्चहतर रुपये अथवा इससे कम रुपये प्रतिमाह पेंशन ले रहे हों।

7. सभी खाली प्लाट।

8. औद्योगिक तथा संस्थागत इकाइयां/भवनों के मामले में भूमि के खाली भाग का मूल्य, जिस पर निर्माण नहीं हुआ हो, को कर के निर्धारण के लिये नहीं गिना जायेगा।

माणिक सोनवणे,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर विकास विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Notification

Dated : 16 Dec., 2003

No. 9/72/2003-5C-I.—In partial modification of notification No. 9/32/2001-5C-I, dated 13th Dec., 2001 in the exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 69 read with sub Section (i) of 84 of Haryana Municipal Act. 1973 (Act 24 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana is pleased to include the Word "Freedom Fighters" at Sr. No. 6.

P.K. Gupta

Commissioner & Secretary to Govt., Haryana
Urban Development Department

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 13th December, 2001]

HARYANA GOVERNMENT

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

(Committees)

Notification

The 13th December, 2001

No. 9/32/2001-5CI.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 69 read with Sub section (1) of Section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973), and all other powers enabling him in this behalf, and in supersession of all previous notifications issued in this regard, the Governor of Haryana hereby directs that all the Municipal Committees/Municipal Councils in the State of Haryana shall impose a tax at the rate of two and half percentum on residential buildings and five percentum on all other buildings, of the annual value of the buildings and lands within the limits of the concerned municipality :

Provided that the following buildings and lands shall be exempted from the payment of the tax namely :—

1. All Mosques, Temples, Churches, Dharamshalas, Gurudwaras, Charitable Hospitals and Dispensaries, Orphanages, Alm Houses, Drinking Water Fountains, Municipal buildings and lands, Muslims graveyards, Hindu Cremation grounds, Christian Cemetaries, Imambaras, Government Nazul Lands under the management of the Committee.

2. All newly constructed residential buildings for a period of three years to be calculated from the date of completion of construction of such buildings. The date of completion of building shall be reckoned from the date of occupation or from the date of issue of completion certificate, whichever is earlier.

3. All residential buildings and lands where annual value does not exceed five thousand rupees in Municipal Councils and three thousand rupees in Municipal Committees.

4. All buildings and lands attached to or owned by religious, educational or charitable institutions or held under trust, wholly for religious, educational or charitable institutions or held under trust, wholly for religious educational or charitable purposes and duly registered under a statute and not transferable, provided that they are providing services without any charges to the community and the entire income is applied/utilized for religious, educational or charitable cause in the State of Haryana; provided further that such institutions will inform the committee about its properties and income and its income is not used or intended to be used for a private religious purpose or for the benefits of a particular caste or community. Charitable purposes include educational and medical relief to the poor and the advancement of any other object of general public utility not involving the carrying on of any activity for profit. The municipality would call for such information and records as may be necessary to satisfy itself about the genuineness of the claim for such exemption before granting it. In case of any false registration/ record coming to the notice of the committee or brought to the notice of committee double the amount of the tax will be charged immediately and the institutions will be debarred for the next five years from the exemption of the tax. However, on the expiry of such period, the institution can be reconsidered for the exemption of tax, if it qualifies for the exemption under the existing provisions.

5. All residential buildings and lands owned by widows and 100% handicapped; provided they have no other residential house in Haryana State and the annual value of the said property does not exceed eight thousand rupees in Municipal Councils and five thousand rupees in Municipal Committees.

6. All buildings and lands owned by ex-servicemen or families of deceased soldiers and ex-servicemen; provided they have no other residential house in Haryana State and are residing in it themselves and have not let out any portion of the house; provided further that the condition of letting out of the house shall not apply to those who are in receipt of pension amounting to one thousand two hundred and seventy-five rupees per mensem or less.

7. All vacant plots.

8. In the case of industrial and institutional units/buildings, the value of the vacant portion of land, which has not been constructed upon shall not be counted for assessment of the tax.

MANIK SANAWANE,

Commissioner and Secretary to Government
Haryana, Urban Development Department

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 29th November, 2007]

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

(Committees)

Notification

The 29th November, 2007

No. 9/32/2001-5CI.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 69 read with Sub section (1) of Section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government; Urban Development Department (Committees), notification No. 9/32/2001-5CI, dated the 13th December, 2001, with effect from 1st April, 2008, namely :—

Amendment

In the Haryana Government, Urban Development Department (Committees), notification No. 9/32/2001-5CI, dated 13th December, 2001, in the proviso, for clause 9, the following clause shall be substituted with effect from the 1st April, 2008, namely :—

"9. All self-occupied residential buildings situated in Municipal Councils/Committees.".

MAHA SINGH,

Commissioner & Secretary to Government,

Haryana, Urban Local Bodies Department.

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 29th November, 2007]

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 नवम्बर, 2007

संख्या 9/32/2001-**5CI.**—हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24), की धारा 84 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, नगर विकास विभाग (समितियां) अधिसूचना संख्या **9/32/2001-5CI**, दिनांक 13 दिसम्बर, 2001 में प्रथम अप्रैल, 2008 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, नगर विकास विभाग (समितियां) अधिसूचना संख्या 9/32/2001-5CI , दिनांक 13 दिसम्बर, 2001 में परन्तुक में, खण्ड 9 के स्थान पर प्रथम अप्रैल, 2008 से निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात

"9. नगरपरिषद्/नगरपालिका क्षेत्र में स्थित सभी आवासीय भवन जिनमें मकान मालिक स्वयं रह रहे हों।"।

महा सिंह,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 29th November, 2007]

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
(Committees)

Notification

The 29th November, 2007

No. 14/47/2003-3CII.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 87 read with Sub-section (1) of Section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Development Department, notification No. 14/47/2003-3II, dated the 30th September, 2003, with effect from 1st April, 2008, namely :—

Amendment

In the Haryana Government, Urban Development Department, notification No. 14/47/2003=3CII, dated the 30th September, 2003, in the proviso, for clause 9, the following clause shall be substituted with effect from the 1st April, 2008, namely :—

"9. All self-occupied residential buildings situated in Municipal Corporation, Faridabad."

MAHA SINGH,
Commissioner & Secretary to Government,
Haryana, Urban Local Bodies Department.

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 29th November, 2007]

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 नवम्बर, 2007

संख्या 14/47/2003-3CII.—हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16), की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, नगर विकास विभाग अधिसूचना **संख्या 14/47/2003-3CII**, दिनांक 30 सितम्बर, 2003, में प्रथम अप्रैल, 2008 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, नगर विकास विभाग अधिसूचना संख्या 14/47/2003-3CII , दिनांक 30 सितम्बर, 2003 में परन्तुक में, खण्ड 9 के स्थान पर प्रथम अप्रैल, 2008 से निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात

"9. नगर निगम फरीदाबाद क्षेत्र में स्थित सभी आवासीय भवन जिनमें मकान मालिक स्वयं रह रहे हों।"।

महा सिंह,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

विषय : Policy regarding Establishment of Memorials/Museums and installation of statues etc.

क्या मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (प्रोटोकोल शाखा में) अपने यादी क्रमांक 16/37/99-4पी.पी., दिनांक 24-6-99 तथा अशा: सम संख्यक दिनांक 28/30-7-99 की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

2. इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्रमांक 14/17/94-5क-1 दिनांक 2-3-95 (प्रति संलग्न) द्वारा पहले ही निर्णय लिया हुआ है कि नगरपालिका सीमा में चौराहे पर किसी की प्रतिमा लगाने की स्वीकृति न दी जाये। किसी चौक का नाम किसी महान विभूति के नाम पर रखने बारे सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। यह भी सूचित किया जाता है कि किसी गली/सडक/पार्क का नाम सम्बन्धित पालिकाओं द्वारा शहीदों/स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम पर रखने हेतु पालिका द्वारा प्रस्ताव पास करके रख लिया जाता है।

यह आपको सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

हस्ता/-

अधीक्षक कमेटी-I

कृते : वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, स्थानीय शासन विभाग

सेवा में

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
(प्रोटोकोल शाखा में)

अशा : क्रमांक 14/80/99-6क । दिनांक 9/11/99

प्रेषक

निदेशक, स्थानीय निकांय,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्थानीय शासन विभाग।

यादी क्रमांक : टी.ए.-99/39345 दिनांक 30/9/99

विषय : Policy regarding Establishment of Memorials/Museums and installation of statues etc.

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक 14/80/99-6क I, दिनांक 10.8.99 के सन्दर्भ में।

2. प्रसंगत मामले में स्पष्ट किया जाता है कि सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 14/17/94-5क I, दिनांक 2.3.95 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्णय लिया गया कि भविष्य में नगरपालिका सीमा में चौराहे पर किसी की प्रतिमा लगाने की स्वीकृति न दी जाये। किसी चौक का नाम किसी महान विभूति के नाम पर रखने बारे सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी गली/सड़क/पार्क का नाम सम्बन्धित पालिकाओं द्वारा शहीदों/स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम पर रखने हेतु पालिका द्वारा प्रस्ताव पास करके रख लिया जाता है।

हस्ता/-

कार्यकारी अभियन्ता,
कृते : निदेशक, स्थानीय निकाय, हरियाणा।

प्रेषक

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

स्थानीय शासन विभाग।

सेवा में

निदेशक स्थानीय निकाय,

हरियाणा, चण्डीगढ।

यादी क्रमांक : 14/17/94-5क।

दिनांक 2-3-95

विषय : मुलाना में साहा चौक का नाम बाबा भीमराव अम्बेदकर के नाम पर रखने बारे।

....

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

2. सरकार ने मामले में विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि भविष्य में नगरपालिका सीमा में चौराहे पर किसी की प्रतिमा लगाने की स्वीकृति न दी जाए। जहां तक किसी चौक का नाम किसी महान विभूति के नाम पर रखने का सम्बन्ध है, इस बारे में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

विशेष कार्य अधिकारी, स्था.III
कृते : आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्थानीय शासन विभाग।

निदेशालय स्थानीय निकाय, हरियाणा, चण्डीगढ

पृ० क्रमांक टी.ए-95/10213-92 दिनांक 13/3/95

एक प्रति हरियाणा की सभी नगर परिषदों/नगरपालिकाओं को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जाती है।

उप मण्डल अभियन्ता,
कृते : निदेशक, स्थानीय निकाय,
हरियाणा, चण्डीगढ।

HARYANA STATE ELECY. BOARD

Sales Circular No. 38/93

From

The Chief Engineer/Comml.
HSEB, Panchkula

To

All EIC/CE/SEs/Xens/SDOs (OP)
JEs incharge sub-offices,
& IAs/AOs (F) in HSEB.

Memo No. Ch-28/13/3/10 Complaint/Bhiwani/Loose
Dated : 24.11.1993

Sub. : Priorities for grant of tubewell connections.

...

Please refer to this office Sales Circular No. 11/89 issued *vide* memo No. Ch-58/TR-95 (90) AP/Vol.III dated 23.8.89 vide which the priorities for release of tubewell connections Ex-servicemen and others were restored.

The matter has been further reviewed and it has been decided to grant priority in release of tubewell connections to Freedom-Fighters and War-widows also. It has been further decided that priority in grant of more than one tubewell connection be also permitted to Ex-servicemen, freedom fighters and war-widows for every 5 acres or part thereof land holding in a sub-division. Likewise a priority for the second tubewell can also be allowed, in case the load falls under another sub-Division any where in the State of Haryana.

SMI No. 27 (D) shall stand amended to the above extent. The above instructions may be brought to the notice of all concerned for meticulous compliance.

Sd/-
Chief Engineer/Comml.,
HSEB, Panchkula

43038—C.S.—H.G.P., Chd.